एक ओंकार (ੴ) सतिगुर प्रसादि ॥

इतिहास गुरु खालसा (पंथ) अठाहरवीं शताब्दी से बीसवीं शताब्दी के मध्य तक

व

स्वन्त्रता का सिक्ख संग्राम

अथवा

सिक्ख इतिहास भाग द्वितीय

www.sikhworld.info
E-mail: info@sikhworld.info
&
jasbirsikhworldinfo@gmail.com

क्रांतिकारी जगद्गुरु नानक चेरीटेबल

लेखकः
जसबीर सिंघ
फोनः 0172-21696891
मो. 99881-60484

द्वितीय-अंश (8)

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

गुरुद्वारा सुधार लहर

सिक्ख इतिहास, भाग-दूसरा

लेखक : स. जसबीर सिंघ

क्रांतिकारी गुरु नानक देव चैरिटेबल ट्रस्ट, चण्डीगढ़
Website : www.sikhworld.info

विषय–सूची

क्रमसंख्या	शीर्षक	पृष्ठसंख्या
1.	गुरद्वारा सुधार लहर	
2.	शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी	
3.	शिरोमणी कमेटी के प्रधानों की सूची	
4.	शिरोमणी कमेटी द्वारा पारित किए गए कुछ जरूरी प्रस्ताव	
5.	शिरोमणी कमेटी के ढांचे में दोष	

गुरद्वारा सुधार लहर

गुरमति में संगति का बहुत महत्व है। सतिगुरू नानक देव जहां भी जाते संगत स्थापित करते और संगत के जुड़ कर बैठने के स्थान की स्थापना करवाते। यहां हर समय शाम को संगत जुड़ती रहती और शब्द कीर्तन व कथा वार्ता होते रहते। इन में से कई संगत के स्थान और कईयों के रहे खडंहर निशान अभी भी मिलते हैं। इन में से यू. पी. में नानक मत्ता, सूरत में नानक वाड़ाए दक्षिण में मिर्जापुर, पूरब में चिटागांव, हैदराबाद दरवन में आदिलाबाद और आसाम में धुबड़ी की संगत के नाम कथनीय हैं।

सतिगुरू नानक देव जी के बाद गुरमति प्रचार के काम को नियमित रूप से चलाने हेतु 22 मंजियों व 52 पीढ़ों की स्थापना की गई। चाहे हर पीढ़े का भी अपना मुखी होता, पर पीढ़े को मंजी के अधीन उप दर्जा प्राप्त होता । ये सारे एक तरह के गुरमति प्रचार के केंद्र होते और इन सब स्थानों पर धर्मशालाएं होतीं । भाई गुरदास जी का 'घर – घर अंदर धरमसालि होवे कीरतन सदा विसोआ' इसी प्रबंध और स्थान – स्थान पर स्थापित हुई संगत का संकेत देता है। इस की साक्षी भाई सेवा दास भी भरता है, जिस ने सन् 1588 ई० में सतिगुरू नानक देव जी की जीवनी लिखी।

सतगुरू साहिबान के अपनी रिहायश वाले मुख्य स्थानों (मुख्यालय) पर ऐसी संगतों व धर्मशालाओं का स्थापित होना तो जरूरी ही था, ऐसे स्थानों में करतारपुर, खडूर साहिब, गोइंदवाल साहिब के नाम आते हैं जिस के बाद श्री गुरू हरि गोविन्द जी ने श्री अकाल तख्त और कीरतपुर आदि और इस प्रकार बाद में समय की आवश्यकता के अनुसार अनंदपुर साहिब जैसे स्थानों की स्थापना होती रही।

सतिगुरू साहिब के हाथों स्थापित हुए ऐसे स्थानों के अतिरिक्त और बहुत से स्थानों पर सिखों द्वारा गुरू की याद कायम की गई हैं। जैसे कि ननकाणा साहिब, सच्चा सौदा, पंजा साहिब, डेरा साहिब लाहौर, सीस गंज व रकाब गंज दिल्ली, पटना साहिब, हजूर साहिब और उस से भी बाद शहीद सिखों व सिंघणियों की याद में शहीद गंज कायम हुए। इन सब स्थानों पर श्री गुरू ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश और गुरबाणी के कीर्तन, कथा विचार ने इन को गुरद्वारा को नाम दिया।

सिख धर्म का विश्वास शबद गुरु है और श्री गुरू ग्रंथ साहिब उस गुरू की सदा अटल जागृत ज्योति हैं। हर स्थान को जहां गुरू ग्रंथ साहिब का प्रकाश है, सिख पूर्ण सम्मान देता है और हर सिख के लिए रोजाना सुबह गुरू के दर्शन व पाठ करने का निर्देशन सिख के दिल में गुरद्वारे के महत्व को और बढ़ा देते हैं। इस प्रकार गुरद्वारा, सिख के नित्यप्रति जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है और इसके बिना सिख जीवन अधूरा रह जाता है।

हर गुरद्वारे की स्थापना के साथ ही यहां पर होने वाली पूजा पाठ व सति संगत के जोड़ मेलों की सपुर्दगी किसी योग्य हस्ती को ही जाती रही है। जैसे कि श्री हरिमंदर साहिब अमृतसर में श्री आदि ग्रंथ जी के पहले प्रकाश के साथ ही इस की सेवा संभाल का भार सन् 1604 में बाबा बुढा जी को दिया गया जो 16 नवंबर सन् 1631 तक यह सेवा करते रहे । उपरांत 24 अगस्त 1636 तक भाई गुरदास जी ने यह सेवा निभाई। उनके पश्चात, सतगुरु हरिगोबिंद जी कीरतपुर की ओर चले जाने के पश्चात, हरिमंदर जी का प्रबंध गुरू घर के विरोधी सोढी साहिबजादों के हाथों में चले जाने की संभावना प्रतीत होती है, जिन्होंने श्री गुरू तेग बहादुर जी को, जब वे स्वयं हरिमंदर जी के दर्शनों को आए तो अंदर से दरवाजे बंद करके वापिस जाने को मजबूर किया तो आप बिना दर्शन किये वापिस वेरका गांव में चले गए।

सन् 1699 में जब श्री हजूर दसम पातिशाह जी ने खण्डे के अमृत की रीति चलाई और 'गुरू संगति कीनी खालसा' तो आपने भाई मनीया जी, जो उस समय गुरबाणी के महान कथाकार थे, को अमृतपान करवा कर भाई मनी सिंघ का नाम प्रदान किया और श्री हरिमंदर साहिब अमृतसर के ग्रंथी की सेवा सौंपते हुए उन को अमृतसर भेज दिया । उनके साथ भाई भूपति सिंघ आदि पांच सिख भी भेजे। भाई मनी सिंघ जी ने लगभग 17 साल यह सेवा निभाई और अंत में इस सेवा को निभाते हुए 24 जून सन् 173 4 को अपनी उम्र के 70वें वर्ष में लाहौर नखास चौक में बंद – बंद कटवा कर शहीद किये गए। इस समय में, जब कभी भी सिखों में से किसी बात पर आपस में कोई विरोध हुआ तो उसके निपटारे के लिए श्री हरिमंदर साहिब का आश्रय लिया गया। तत्त खालसा व बंदइयों के बीच झगड़े हो जाने पर भी यहां पर ही अंतिम फैसला लिया गया, जिस को सब ने स्वीकार किया।

यह लगभग 50 साल का वह समय था जब समय की हकूमत द्वारा बार – बार हुकम जारी किये जाते रहे कि सिख जहां भी मिले उसे कत्ल कर दिया जाए बल्कि सिख का सिर काट कर पेश करने वाले को विशेष इनाम मिलता था। ऐसी दशा में सिखों का जंगलों, कंद्राओं व बीकानेर के मारूस्थलों को निकल जाना स्वाभविक था। भले ही समय समय पर इक्का दुक्का सिख किसी गुरद्वारे का अपमान होने की खबर पा कर दोषियों को सबक सिखलाने के लिए छापे मारते और अपना काम करके वापिस जंगलों में जा छिपते – जिस तरह कि हरिमंदर साहिब का अपमान न सहारते हुए भाई महताब सिंघ मीरांकोटिए और भाई सुखा सिंघ कंबोकी ने बीकानेर से चल कर मस्सेरगंड़ का सिर काट कर ले जाने के लिए छापा मारा था। उस समय किसी सिख द्वारा सिख के स्वरूप में किसी गुरद्वारे की सेवा करते रहना संभव नहीं था। गुरद्वारों की जो थोड़ी बहुत सेवा संभाल होती रही, वह उदासी सांप्रदायों के साधुओं या कहीं निरमले संतों ने की। इन दोनों सांप्रदायों के अनुयाई श्री गुरू ग्रंथ साहिब की बाणी का सम्मान तो शुरू से ही करते आए थे जिस सम्मान के फलस्वरूप गुरद्वारों में श्री गुरू ग्रंथ साहिब का प्रकाश व थोड़ी बहुत पूजापाठ की मर्यादा कायम रही।

गुरद्वारों की देख रेख व रख रखाव का यह सिलसिला लगभग दो सौ साल जारी रहा। इस समय को इतिहासिक पक्ष से हम तीन भागों में बांट सकते हैं :

(1) पहले 50 – 55 साल का वह समय था जब मुगल हकूमत हाथ धो कर सिखों के पीछे पड़ी हुई थी और अहमद शाह अब्दाली, जो भले ही मुगलों का भी सफाया कर रहा था, वह भी मुगल को सिखों का खुरा खोज मिटा देने के लिए उकसा रहा था । अब्दाली को निश्चय करवाया गया था कि सिखों के जीवन और उनकी बहादुरी का राज़ केवल गुरद्वारा हरिमंदर और अमृतसर सरोवर हैं। यह ऐसा आबे हयात है कि गंभीर रूप से घायल हुआ व मर रहा सिख भी इनके दर्शन और स्नान करके बड़े जंगबाज के साथ लोहा लेने को तत्पर हो जाता है। यह सूचना मिलने पर अब्दाली ने हरिमंदर गिरा देने और सरोबर को भर देने के आदेश जारी किये और इन को ढेरी कर दिया गया। यह केवल उस समय की हकूमत बाहर से आए हमलावरों का निश्चय नहीं था कि सिखों के गुरद्वारे तथा सरोवर सिखों की शक्ति के स्रोत हैं बल्कि जैसे हम आगे चल कर देखेंगे, यह निश्चय मुगलों के बाद आए सभी हुकमरानों का रहा है। पर यहां पर तो केवल इतना ही बताना उचित है कि इस 50 – 55 वर्षो के समय में सिखों को गुरद्वारों के साथ केवल इतना तो संबंध था ही कि वे अंधेर – सवेर, चोरी छिपे आ कर इन के दर्शन कर जाएं । पूजा पाठ के बारे में उन को न कुछ पता था और न वे ऐसा कर सकते थे। यह विशुद्ध व केवल सांप्रदायी साधुयों के वश की और उनके द्वारा करने की बात थी।

(2) गुरद्वारों की देख–रेख का दूसरा 80 – 85 साल का वह समय था जिस को सिख मिसलों का, महाराजा रणजीत सिंघ और उस के पश्चात के सिख राज्य का समय कहा जा सकता है। सिखों के लिए यह बड़े संघर्ष का समय था। यह संघर्ष पहले देश की हकूमत के विरूद्ध था और फिर जब यह सिख जत्थे जोर पकड़ गए तो पंचायती तौर पर अपने अपने रजवाड़े कायम करने का काम करते रहे। अंत मे जब महाराजा रणजीत सिंघ के अधीन मध्य पंजाब में सिख राज्य की स्थापना निश्चित तौर पर हो गई तो इन का ध्यान आस–पास के गैर सिख क्षेत्रों – यथा मुल्तान, कश्मीर, डेरा इस्माइल खां कोहाट, पेशावर, जमरौद और उत्तर में लद्दाख के इलाके लेह और गिलगित तक को सर करने की ओर लगा रहा। इतने घमासान संग्रामों में व्यस्त होते हुए भी गुरद्वारों के प्रति इनकी श्रद्धा व प्यार, इस बात से स्पष्ट होते हैं कि जब और जहां पर भी इन का बस चला, इनके द्वारा गुरद्वारे स्थापित करने और इनके महत्व को बढ़ाने की ओर पूरा जोर दिया गया । सरदार बघेल सिंघ का दिल्ली विजय करने के पश्चात विशेष काम दिल्ली के गुरद्वारे स्थापित करना ही था और महाराजा रणजीत सिंघ ने श्रद्धालु के रूप में पंजाब भर के विख्यात गुरद्वारों के नाम बहुत बड़ी जागीरें और जरई जमीनें लगा देने के अतिरिक्त श्री हरिमंदर साहिब अमृतसर, अकाल तख्त साहिब, ननकाणा साहिब आदि गुरद्वारों का निर्माण करवाया और दरबार साहिब अमृतसर पर संगमरमर व चांदी सोने को अधिक से अधिक जड़वाया। परंतु यह कुछ करके भी गुरद्वारों के आंतरिक प्रबंध व मर्यादा में कोई दखल नहीं दिया, न कभी किसी गुरद्वारे को राज्य प्रबंध में लेने का विचार बनाया, बल्कि महाराजा रणजीत सिंघ हमेशा श्री अकाल तख्त साहिब से जारी हुए हुकमनामों के सामने सिर झुका दिया करते थे। इस को चाहे महाराजा साहिब की राजनीतिक चतुरता कहा जाए या कुछ और पर एक बात जरूर निश्चित होती है कि इस समय तक धर्म को राजनीतिक सत्ता पर सर्वोच्चता प्राप्त थी विशेष करके सिख राज्य के समय, गुरद्वारे का सम्मान पहले की भांति ही कायम था। पर सिख राज्य ने चाहे गुरद्वारों और संबंधित गुरू के लंगर हेतु आरक्षित जागीरों व जायदादों के द्वारा, इन की आर्थिक दशा काफी अच्छी बना दी थी,परन्तु इन का अंदरूनी प्रबंध व पाठ पूजा पहले की भंति ही संप्रादाई अथवा उदासी व निरमले साधुओं के हाथों मे रही तथा जिस की ओर सिख राज्य के समय भी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया।

(3) गुरद्वारों के प्रबंध का तीसरा कांड सन् 1849 में पंजाब में अंग्रेज राज्य स्थापित हो जाने से आरंभ होता है और इस का समय लगभग 70 साल निश्चित किया जा सकता है । अंग्रेज ने पंजाब का राज्य संभालने के साथ ही यह भांप लिया था कि श्री अकाल तख्त और अन्य प्रमुख गुरद्वारों के अस्तित्व और सिखों का समूचे तौर पर इन के साथ गहरे सम्मान वाला संबंध सिखों की चढ़त के कारण है । बताया जाता है कि इसी दौरान एक बार ब्रिटिश पार्लियामेंट लंदन में, एक प्रश्न के उत्तर में सैक्रेटरी आफ स्टेट फार इंडिया द्वारा बताया गया था कि चाहे भारत पर अंग्रेज़ों का पूरा कब्जा हो गया है परंतु अगर किसी समय कोई खतरा हो सकता है तो वह केवल सिख कौम से है। क्योंकि उनको आपस में संगठित किये रखने और उन की जिंदा दिली और चढ़दी कला के कुछ ऐसे साधन अभी उनके पास हैं जिन को समाप्त करने के लिए समय की आवश्यकता है। पूरक प्रश्न होने पर वहां पर यह भी बताया गया कि सिखों के गुरद्वारे एक प्रकार की A State within a State है और उन का गुरद्वारों पर भरोसा किसी समय भी उनके अंदर जागृति ले आने और उनको संगठित कर देने का कारण हो सकता है। चुनाचे अंग्रेज के इस विश्वास ने उस को गुरद्वारों पर समूचे तौर पर और विशेष करके श्री हरिमंदर और अकाल तख्त साहिब पर करड़ी निगाह रखने के लिए मजबूत किया। वैसे तो महंतों व पुजारियों को

अपने हाथों में रखने की नीति समूचे तौर पर ही अंग्रेज सरकार ने अपनाए रखी, परंतु उक्त दो स्थानों का प्रबंध तो सीधे ही डिप्टी कमिश्नर अमृतसर के हाथ में सरकार द्वारा स्थापित एक संरक्षक के अधीन रखा गया। जब भी जरूरत पड़ी इन को सरकार की निजी स्वार्थ सिद्धि और सिखों के कौमी स्वाभिमान को सुलाए रखने हेतु प्रयोग किया गया। मिसाल के तौर पर जब अंग्रेज सरकार ने सन् 1914 में बज–बज घाट पर गुरू नानक जहाज (कौमा काटा मारू) के सिख मुसाफिरों पर गोलियां चला कर उनको भून दिया तो सिखों के जोश को ठंडा करने के लिए श्री अकाल तख्त से संरक्षक अरूड़सिंघ के हस्ताक्षरकृत एक हुकमनामा जारी करके प्रकट किया कि बज–बज के घाट पर गोली द्वारा मरने वाले लोग सिख नहीं थे। इसी प्रकार सन् 1919 में जलियां वाले बाग का कांड करने वाले जनरल डायर की प्रशंसा के तौर पर उसको श्री अकाल तख्त साहिब से सिरोपा दिलवाया गया।

इस की पुष्टि बड़ी आयु के कई पुराने सज्जनों से सुनी एक बात करती है। मैं इतिहास खोजियों की सेवा में प्रार्थना करुंगा कि वे इसी की खोज करें। यह बात इस तरह सुनी है कि भारत की अंग्रेज सरकार ने एक बार यह विचार बनाया कि यदि दरबार साहिब, अमृतसर और श्री अकाल तख्त साहिब किसी गैर सिख के पास बेच दिए जाएं या गिरवी रख दिए जाएं तो मालिकाना हक के कानून की आड़ में सिख इन स्थानों से वंचित किये जा सकते हैं। इस की खबर बाहर निकल गई । समय के संरक्षक सरदार मंगल सिंघ ने भी इस बात को सुना। भले ही वे सरकार के पक्षधर व्यक्ति थे, पर ऐसी आश्चर्यजनक सूचना के प्रभाव और सिखी जज़्बे के वश में उस ने यह बात कुछ प्रतिष्ठित सिखों के साथ की। इसकी पुष्टि के लिए कुछ सिख एकत्र हो कर पंजाब के उप राज्यपाल को मिले। उसने भले ही स्पष्ट तो कुछ नहीं बताया पर उस द्वारा मिले इस सुझाव ने कि आप इस बारे में वायसरास साहिब से पूछ सकते हो, इन का शक और बढ़ गया। इन्होंने एक डेपुटेशन के रूप में वायसराय को मिलने की आज्ञा प्राप्त कर ली। मुलाकात के समय जब इन्होंने वायसराए के ऐसे विचार सुने कि सिखों से पंजाब का राज्य संभाल लेने के पश्चात् अंग्रेज सरकार अपने आप को सिखों को हर साझे स्थान की मालिक समझती है, तो इन को बहुत चिंता हुई। इन्होंने वहां से वापिस आकर दरवाजा लौह गढ़ के गुरद्वारे में मीटिंग की और उस समय अंग्रेज हकूमत का सामना करने के लिए अपने आप को असमर्थ जान कर इन्होंने गुरू का आश्रय लेने के लिए निर्णय किया कि श्री हरिमंदर साहिब में अखंड पाठ किया जाए और सतिगुरू से सहायता के लिए अरदास की जाए।

अगले दिन सुबह ये सारे सज्जन अमृत बेला में हरिमंदर साहिब पहुंच गए। गोबिंद गढ़ किले से आते समय ही एक सरकारी जिम्मेदार जासूस इन के पीछे लगा आ रहा था। वह भी सुबह दरबार साहिब पहुंच गया। कार्यक्रम के अनुसार सुबह चार बजे आसा की वार का कीर्तन आरंभ हुआ। उपरांत जो प्रभु का कौतुक हुआ वह दर्शनी डयोढी में लगे एक सुनेहरी पतरे पर आज भी अंकित है। श्री हरिमंदर साहिब जी में 30 अप्रैल, 1877 ई को सुबह 4:30 बजे एक अजब दैवी खेल हुआ। कोई चार सौ प्रेमी श्री हरिमंदर साहिब जी में कीर्तन का आनंद ले रहे थे जब कि अचानक ही बिजली की चमक दिखलाई दी। वह चमक एक बड़ी रोशनी की शक्ल में पहाड़ की वाही के दरवाजे में से आई। ठीक श्री गुरू ग्रंथ साहिब जी के सामने गोला सा बन कर फटी और प्रकाश ही प्रकाश करके दक्षिणी दरवाजे से होकर एक रोशनी की लकीर हो कर निकल गई। चाहे इस के फटने के समय बहुत भयानक व जोरदार आवाज़ आई, पर अंदर बैठे किसी प्रेमी सज्जन, इमारत या किसी वस्तु को किसी प्रकार का कोई नुक्सान नहीं हुआ। इस अलौकिक दृश्य को सभी लोग श्री गुरू रामदास जी का कौतुक बताते थे।

इस पतरे की जगह पहले एक और पतरा लगा हुआ था जिस पर यह सारा वृतांत अंग्रेजी में छपा हुआ था और अंत में श्री गुरू रामदास जी की महानता के कुछ शब्द लिखने के पश्चात इस को मल्का विक्टोरिया के राज्य के उभरते सूर्य के साथ जोड़ा गया था। इस के नीचे बी. के. अक्षर हस्ताक्षर के स्थान पर लिखे थे। अंग्रेजी वाला यह पतरा मैंने दरबार साहिब की वर्कशाप में, जहां सोना चांदी के काम की ढलाई होती थी, 1962 मे पढ़ा और सैक्रेटरी साहिब को इस के तोशेखाने में रखे जाने की विनती की गई थी।

बताया गया है कि उक्त 30 अप्रैल 1877 ई० की घटना के बाद सरकारी जासूस की रिपोर्ट और सलाह के अनुसार, सरकार ने दरबार साहिब को सुरक्षित रखने वाला विचार त्याग दिया। इस घटना का वर्णन करने से मेरा भाव केवल यह बताना है कि मुखी गुरद्वारों के संबंध में अंग्रेजी सरकार की नीति क्या थी।

गुरद्वारों के संबंध में अंग्रेज सरकार की ऐसी नीति का एक और प्रमाण उस समय के पंजाब के उप राज्यपाल (आर. ई. एजरटन) की वह चिट्ठी है जिसमें उन्होंने हिंद के वायसराय को 8 अगस्त, 1881 को लिख कर यह सुझाव दिया कि गुरद्वारों के संबंध में अंग्रेजों द्वारा चालु की गई नीति में कोई परिवर्तन न लाया जाए। उस पत्र के शब्द इस प्रकार है: –

My dear Lord Rippon,

" I think it would be politically dangerous to allow the arrangement of Sikh temples to fall into the hand of a Committee emancipated from Government control, and I trust your Excellency will assist to pass such orders in the case as will enable to continue the system which has worked out successfully for more than thirty years (Simla & August 1881). Believe me, your sincerely, RE Egerton Lt Governor, Punjab."

“मेरे विचार में यह बात राजनीतिक तौर पर खतरनाक होगी कि सिख धर्म स्थानों का प्रबंध किसी ऐसी कमेटी के हाथों में चला जाए जिस पर सरकार का नियंत्रण न हो। मुझे विश्वास है कि श्री हजूर वायसराय साहिब इस संबंधी ऐसा आदेश जारी कर देंगे जिस के द्वारा पिछले तीस साल से अधिक समय का सफलता पूर्वक चल रहा प्रबंध ही जारी रह सके।

हस्ता/आर ई ईजरटन

उप राज्यपाल, पंजाब।

शिमला 8 अगस्त 1881

सन् 1849 के पश्चात् पंजाब में लगातार 60–70 साल के अमन के राज्य ने देश की आय बढ़ाने के कई साधन पैदा कर दिए थे तथा शहरों में लोगों का आवागवन व तालमेल के साधन बढ़ जाने के कारण नहरों द्वारा जरई जमीनों की सिंचाई का चालू होना, नवीन अनाज व व्यापारिक मंडियों का बन जाना और नवीन बार आबाद होना और इन के साथ ही गुरद्वारों की आमदनी का बढ़ जाना आदि इन महंतों व पुजारियों के रहन सहन में परिवर्तन ले आए और वे सारे दोष व भ्रष्टाचार जो धन पदार्थ के बाहुमूल्य से पैदा हो जाया करते हैं इन में भी आने शुरू हो गए। यह परिवर्तन अंग्रेज सरकार की

गुरद्वारों के बारे में नीति फलीभूत करने के लिए सहायक बना और सिखी जीवन के स्रोतों को गंदला होता देख कर सरकार ने खुशी मनाई। बल्कि हर संभव तरीके से महंतों व पुजारियों को सरकार से शह मिली जिस ने गुरद्वारों में संगत के समारोहों, दीवानों व सम्मिलनों के दिखलावे के अधीन भ्रष्टाचार को और तीखा कर दिया।

इसके साथ बल्कि इससे भी पहले एक और बात जो गुरद्वारों में हुई वह इन की आंतरिक मर्यादा और पूजा पाठ में आ रहा परिवर्तन था। लगभग दो सौ साल से गुरद्वारे उन सांप्रदाई साधुओं के प्रबंध में चले आ रहे थे जो श्री गुरू ग्रंथ साहिब के लिए सम्मान रखते हुए भी हिंदु मर्यादा व रहन सहन से अधिक प्रभावित थे। इस का परिणाम यह हुआ कि चाहे गुरद्वारों में प्रकाश तो श्री गुरू ग्रंथ साहिब का ही होता रहा परंतु बाकी सारी रीति हिंदू मूर्ति पूजा वाली हो गई बल्कि गुरू नानक साहिब और अन्य गुरू साहिबान के बुत्त व मूर्तियां रखी जाने लगी और हिंदु विधि के अनुसार इन को भोग लगवाने, आरती धूप – दीप करने शुरू हो गए और गुरमति मर्यादा को दूसरा दर्जा भी प्राप्त न रहा।

साधारण व्यक्ति, साधु सांप्रदाय और इन के वेश का बहुत कायल रहा है। अब भी है। ऐसे साधु आम तौर पर भोले लोगों की साधारण सूझ का अनुचित लाभ उठाते हैं। फिर जब ये धर्म के प्रमुख स्थानों के पुजारी और महंतों की पदवी को प्राप्त हुए हों तो आम जनता के मनों पर इन का सम्मान भरा भय छा जाना स्वाभाविक बात है। अतः आम सिख मनों पर इन संप्रदाई साधुओं का, जिन के हाथ में पवित्र गुरद्वारों के पूजा पाठ की देख रेख थी, बहुत अधिक प्रभाव था और कोई मर्यादा या रीति, जो ये गुरद्वारों में चालू करते, आम सिखों के लिए वह ही गुरमति समझी जाती और इस प्रकार इन के द्वारा की गई दो सौ साल की गुरद्वारों की सेवा संभाल ने, लगभग समस्त ब्राहमणी रीतियों, वरण भेद, जाति के भेदभाव और छूत छात का प्रवेश गुरद्वारों में करवा दिया। इस को सिख जनता ने समूचे तौर पर स्वीकार कर लिया और गुरद्वारे जो सिखी चलन, मर्यादा ओर रीति व सिख मर्यादा के स्रोत थे, ब्राहमणी पूज्य स्थान बन गए। केवल इतना कुछ अंतर था कि यहां पर मुर्तियों के साथ श्री गुरू ग्रंथ साहिब का प्रकाश भी होता था।

गुरमति में ब्राहमणी मर्यादा और इन के दिनों दिन बढ़ते प्रभाव का एक प्रमुख कारण था, उस जागृति को पैदा करने का जो पहले जिज्ञासी, अभ्यासी, नामधारी और फिर सिंघ सभा लहर के नामों से जन्मीं और जिन्होंने गुरमति को पुनःजीवित करने में अपनी अपनी सामर्थानुसार हिस्सा डाला । ये लहरें ने जनता में भी काफी जागृति लाई, चाहे हर एक का दृष्टिकोण अपना अपना था। सिंघ सभा लहर की विशालता, संगठन और इस के अंदर विद्या और गुरू बाणी की खोज के पक्ष अधिक उजागर होने के कारण, इसको हम सिखी की पुनरजागृति लहर कह सकते हैं और इस का छूत छात और जाति भिन्न भेद मिटाने की ओर उठाया गया कदम, सिखी दृष्टिकोण से बहुत प्रशंसनीय था। उनका एक कदम जो बीसवीं सदी के पहले दो दशकों में शुद्धि प्रचार के नाम पर मशहुर हुआ, गुरद्वारा सुधार लहर का फौरी कारण समझा जा सकता है चाहे इस के मुख्य कारण गुरद्वारों के महंतों व पुजारियों की आचरणहीनता व भ्रष्टाचार, गुरद्वारों की सपंत्तियों को बर्बाद करने और बेच खा कर, राह पकड़ने और सिखी मर्यादा को त्याग कर ब्राहमणी रीति का गुरद्वारों में प्रवेश करवाना भी था।

गुरद्वारा प्रबंध सुधार लहर का वर्णन, यह बताए बिना अधूरा रह जाता है कि चाहे सिखी के आदि काल से लेकर ही, सिख मनों में गुरद्वारों का बहुत सम्मान था और सिख किसी कीमत पर भी

गुरद्वारे संबंधी किसी प्रकार की छेड़ छाड़ को बर्दाश्त करने के लिए कभी तैयार नहीं हुए और जहां तक गुरद्वारों की आंतरिक मर्यादा और सिखी रीति का संबंध है, सिखों के अंदर चली जिज्ञासी – अभियासी कूका और सिंघ सभा लहर भी इन के बारे में सिखों के अंदर बड़ी जागृति ले आई थी। इस के साथ ही सिखी विरोधी आर्य समाजी, मिर्ज़ई ओर इसाई मत के प्रचार की लहरों ने भी सिखों के स्वाभिमान व गौरव को बहुत कचोटा था । इस के अतिरिक्त सरकार द्वारा कैदी सिखों को कंघा, कड़ा, कृपाण और दस्तार जेल में रखने की आज्ञा न देना भी सिखों को भड़काने का एक कारण था। परंतु जो बात इन सभी विचारों को सब से अधिक कचोटने वाली सिद्ध हुई वह इनके अंदर अंग्रेजों के विरूद्ध राजनीतिक जागृति थी विशेष करके परदेस गए, खास कर कैनेडा में जा बसे सिखों व पंजाबियों में आई क्रांति। इसका कारण कैनेडा में छपने वाला और पंजाब के सिख नौजवानों में चोरी छिपे बांटे जाने वाला गदर नाम का अखबार था। इस में छपी कविताओं में से केवल एक बंद पाठकों को उदाहरण के लिए प्रस्तुत है जो भारतीय मनों पर इसका प्रभाव प्रकट करेगा। यह इस प्रकार है:

गड दिओ जंग दीआं लाल झंडीयां ।

वढ दिओ गोरे, मेमां कर दिओ रंडीयां ।

चार लख कुल गोर इथे वसदे,

अठ अठ इक दीआं पा लओ वंडीआं,

वड दिओ गोरे मेमां कर दिओ रंडीआं ।

इसी संबंध में बाबा गुरदित्त सिंघ द्वारा कौमागाटामारू जहाज के द्वारा 318 सिख यात्रियों को कैनेडा ले जाना और वहां पर उतरने की अनुमति का न मिलना, जहाज का वापिस हिंदुस्तान पहुंचना और सितंबर 1914 में बज बज के घाट पर उन का स्वागत गोलियों से किया जाना, उपरांत कैनेडा से कामागाटामारू जहाज द्वारा हिंद की आज़ादी के परवानों को देश पहुंचना और अंग्रेजी राज्य को मलियामेट करने के लिए बंबों की गुप्त फैक्टरी लगाना 21 फरवरी 1912 ई० की अंग्रेज़ घातक साजिश के नंगे हो जाने के कारण 75 साजशियों को फांसी की सजा होना, जिन में से 25 व्यक्तियों को फांसी लगाना एक बड़ी लंबी कहानी है, इसका भी गुरद्वारा संबंधी जागृति पैदा करने में बहुत बड़ा योगदान है। फिर अप्रैल 1919 में जलियां वाले बाग का कत्लेआम और उसी साल सिख पोलीटीकल लीग की स्थापना भी इसी लहर को तेज करने के कारणों में से थे।

इसी साल ही 5 अक्तूबर को गुरद्वारा बाबे दी बेर स्यालकोट की कई सालों से चल रही खींचतान उस समय खत्म हुई जब सिखों के यहां पर बुलाए एक भारी सम्मिलन के दबाव में सिखों की चुनी हुई एक 13 सदस्यीय कमेटी ने गुरद्वारे पर कब्जा कर लिया जिसको अगले दिन 6अक्तूबर को लाहौर डिवीजन के कमिश्नर, मिस्टरकिंग ने मौके पर पहुंच कर तस्लीम किया। इस गुरद्वारे के प्रबंध के संबंध में शुरू से यह तरीका रहा था कि जब कोई महंत मरता तो स्याल कोट की सिख जनता साझे तौर पर उस की जगह पर नया महंत नियुक्त कर देती। इस मर्यादा के अनुसार ही सन् 1887 में यहां पर महंत प्रेम सिंघ नियुक्त हुआ था। सन् 1901 में प्रेम सिंघ ने अपनी जगह पर अपने पोते हरनाम सिंघ को महंत नियुक्त कर दिया और 1918 में हरनाम सिंघ की मृत्यृ के पश्चात नाबालिग पड़पोते गुरचरन सिंघ को महंत बनाया। इसका सिखों द्वारा बहुत विरोध किया गया। परंतु बावजूद इस विरोध के गुरचरन सिंघ को प्रेम सिंघ का पुश्तैनी वारिस जान कर गुरद्वारे की समूची जायदाद का इंदराज गुरचरन सिंघ के नाम हो

गया और उसकी मां ने एक पतित क्लीन शेवन गंडा सिंह को नाबालिग महंत का गार्डीयन रजिस्टर करवा दिया। सिख कैसे इस बात को सहन कर सकते थे कि एक सिरमुंड़ा व्यक्ति पतित, गुरद्वारे का संरक्षक हो? बहुत एजीटेशन हुई। सरकार गंडा सिंह की मदद पर उतर आई । कई सिंघ जेलों में डाल दिए गए पर अंततः पंथ के समूचे दबाव के सामने न गंडा सिंह और न सरकार ठहर सके। 7 अक्तूबर 1920 को कमिश्नर लाहौर ने सिखों द्वारा चुनी गई कमेटी को स्वीकार कर लिया।

श्री दरबार साहिब अमृतसर की अंग्रेज राज्य की वार्ता इस से भी पुरानी है। जिस प्रकार पहले बताया गया है कि पंजाब में अंग्रेज राज्य की स्थापना के साथ ही दरबार साहिब का मामला आगे बढ़ चुका था और सरकार इस को सिखों के हाथों सोपने के लिए कभी भी तैयार नहीं थी। फिर भी सन् 1859 में सिखों की आंखों में धूल झोंकने के लिए सरकार द्वारा एक नौ सदस्यीय सिख कमेटी बनाई गई थी जिस का प्रधान सरकार द्वारा नियुक्त किया गया संरक्षक था। वास्तव में यह संरक्षक ही सब कुछ था और यह ज़िले के अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर को ही उत्तरदाई था। दरबार साहिब और इस की परिक्रमा में उन्हीं दिनों जो कुछ होता रहा उस के विस्तार में जाना तो कठिन है, परंतु उदाहरण के तौर पर इतना बताना काफी होगा कि श्री गुरू ग्रंथ साहिब के पवित्र रुमाले सरेआम बाजार में बेचे जाते या पुजारियों के घरों में औरतों के लहंगे और बच्चों के फराक बनाने के काम आते । चढ़ावे का प्रसाद पुलिस अफसरों व मैजिस्ट्रेटों के घरों में जाता। बसंत, होली आदि के त्यौहारों के समय, गुरद्वारे में गवईयों से गंदे गीत गवाए जाते और स्थान स्थान पर देवी देवताओं के बुत रखे जाते, रोज उनकी पूजा की जाती, रामायण व महाभारत की कथा होती, गंदे किस्से व कहानियां परिक्रमा के अंदर गाए और देखे जाते । दर्शनार्थ आई औरतें का बदमाश पीछा करते। दरबार साहिब के आस पास नवाह के चुबारों के अंदर आचरणहीन औरतों को ले जा कर पेशा करवाया जाता जिस की एजंटी पुजारी और पुजारिनें किया करतीं। तथाकथित अछूत जातियों के लोगों को दरबार साहिब जाने और प्रसाद भेंट करने की मनाही होती बल्कि कृपाणधारी और सिंघ साभियों का प्रशाद भी अस्वीकार कर दिया जाता। जब सरदार सुंदर सिंघ मजीठिया अपने लड़के कृपाल सिंघ के विवाह के पश्चात कड़ाह प्रशाद लेकर दरबार साहिब पहुंचे तो आपका लाया गया प्रसाद इसलिए वापिस कर दिया गया कि आपने लड़के का आनंद विवाह करवाया था। यह टूक मात्र उस पवित्र स्थान का चित्रण है जिस का दर्शन स्नान, मुगल हुकमरानों और मुस्लिम इतिहासकारों के कथनानुसार घायल, नकारे हो चुके सिखों को पठान व मुगलिया फौजें के साथ नये सिरे से लोहा लेने के लिए पुनः जान फूंक दिया करता था।

अमृतसर मे खालसा बिरादरी के नाम की उन सिखों की एक सभा बनी हुई थी जो रविदासियों में से सिख बने थे। दिनांक 10, 11, और 12 अक्तूबर 1920 को जालियां वाला बाग के स्थान पर उन्होंने अपना वार्षिक दीवान किया। इस में बहुत से और रविदासियों ने अमृतपान किया और 12 तारीख को नवसृजित सिख भाई महताब सिंघ बीर की अगवाई में कढ़ाह प्रसाद की देग ले कर दरबार साहिब पहुंचे। खालसा कालेज अमृतसर के कई प्रोफैसर व विद्यार्थी भी उनके साथ आए । मैं (सरदार नरैण सिंघ) भी उनमें था। श्री हरिमंदर साहिब के पुजारियों ने प्रशाद का अरदासा सोधने से न कर दी। प्रो० बाबा हरिकिशन सिंघ जी के सुझाव पर एक विद्यार्थी ने अरदास की और प्रसाद बांटना आरंभ हुआ ही था कि जत्थेदार करतार सिंघ बब्बर और सरदार तेजा सिंघ भुच्चर अचानक वहां पर पहुंच गए। प्रसाद के अरदासे की बात फिर छिड़ गई और अंततः दोनों पक्षों ने इस का निर्णय श्री गुरू ग्रंथ साहिब द्वारा, आने वाले हुकमनामे पर छोड़ दिया। जब पुजारी सिंघ ने रुमाला उठा कर हुकम लिया तो सोरठि राग का महला

तीजा का नीचे अंकित शबद द्वारा आदेश आया:

सोरठि महला ३ दुतुकी

निगुणिआ नो आपे बरवसि लए भाई सतिगुर की सेवा लाइ।।
सतिगुर की सेवा उतम है भाई राम नामि चितु लाइ।।
हरि जीउ आपे बरवसि मिलाइ।।
गुणहीण हम अपराधी भाई पुरे सतिगुरि लए रलाइ।। रहाउ।।
कउण कउण अपराधी बरवसिअनु पिआरे साचे सबदि वीचारि।।
भंउजलु पारि उतारिअनु भाई सतिगुरू बेड़ै चाढ़ि।।
मनूरे ते कंचन भए गुरु पारसु मेलि मिलाइ।।
आपु छोडि नाउ मनि वसिआ भाई जोती जोति मिलाइ।।
हउ वारी हउ वारणै भाई सतिगुर कउ सद बलिहारै जाउ।।
गुरबिनु सहजु न उपजै भाई पूछहु गिआनीआ जाइ।।
सतिगुर की सेवा सदा करि भाई विचहु आपु गवाइ।।
गुरमती भउ उपजै भाई भउ करणी सचु सारु ।।
प्रेम पदार्थ पाईऐ भाई सचु नामु आधारु।।
जो सतिगुरु सेवहि आपणा भाई तिन कै हउ लागउ पाइ।।
जनमु सवारी आपणा भाई कुलु भी लई बरवसाइ।।
सचु बाणी सचु सबद है भाई गुर किरपा ते होइ।।
नानक नामु हरि मनि वसै भाई तिस बिघनु न लागै कोइ।।

श्रद्धावान मनों के लिए यह अति भाव पूरक फुर्मान था। सतिगुरू जी ने अवसर को जानकर उसके अनुकूल आदेश प्रदान किया था। सारी संगत बल्कि वायु मंडल धन्य गुरू रामदास! की आवाज से गूंज उठा । डोलते हुए हृदय भी श्रद्धा में झुक गए। अब प्रसाद बांटा गया और पुजारियों ने प्रसाद लिया परंतु अधिकांश ने इस प्रसाद का सेवन नहीं किया। झब्बर जी ने सारी संगत को इसी प्रकार ही श्री अकाल तरव्त पर प्रशाद भेंट करने को प्रेरित किया।

श्री हरिमंदर साहिब में इस घटना को देरव कर अकाल तरव्त साहिब के पुजारी तरव्त को सूना छोड़ कर छिप गए ताकि उन को रवालसा बिरादरी के सिरवों द्वारा लाया गया प्रशाद न लेना पड़े । जब सारी संगत हरिमंदर साहिब से यहां पर पहुंची तो तरव्त को पुजारियों से रवाली पाया तो सरदार करतार सिंघ झब्बर की अपील पर 17 सिरवों ने अपने आपको तरव्त की सेवा के लिए पेश किया और सरदार तेजा सिंघ भुच्चर की जत्थेदारी में इन को अकाल तरव्त साहिब की सेवा संभाल का कार्य सौंपा गया। इस प्रकार दिनांक 12.10.1920 को तरव्त साहिब का प्रबंध सिरवों ने स्वयं संभाल लिया । इस बात की सूचना सरकार द्वारा नियुक्त किए गए संरक्षक सरदार सुंदर सिंघ रामगढ़िया को दी गई । भाग कर गए पुजारी संरक्षक व डिप्टी कमिश्नर के कहने से भी श्री अकाल तरव्त साहिब की सेवा में हाजिर न हुए।

अगले दिन 13 अक्तूबर 1920 को डिप्टी कमिश्नर ने संरक्षक सिखों के कुछ मुखियों और पुजारियों को, अपने बंगले में बुलाया ताकि इस मामले के संबंध में विचार की जाए। पुजारी हाजिर न हुए । डिप्टी कमिश्नर ने श्री दरबार साहिब पर, श्री अकाल तख्त के प्रबंध के लिए संरक्षक सहित 9 सज्जनों की एक तदार्थ समिति बना दी । ये सारे ही गुरद्वारा सुधार लहर के पक्षधर थे। संरक्षक को इस कमेटी का प्रधान नियुक्त किया गया।

इस पर पुजारी तिलमिला उठे । उन्होंने बुढा दल के निहंग सिखों को भड़काया। बुढा दल अमृतसर पहुंच गया । शोर मच गया कि 15 अक्तुबर को खतरा देख कर निहंग सिंघ श्री अकाल तख्त के सेवादारों पर हमला करेंगे । बाबा केहर सिंघ पट्टी ने निहंगों को बहुत चतुराई से सारी बात समझाई और उनसे यह प्रस्ताव पास करवाया कि पुजारियो ने श्री अकाल तख्त साहिब खाली छोड़ कर भाग जाने की बहुत गंभीर गलती की है और जब तक पंथ का साझा सम्मेलन नहीं होता किसी को किसी प्रकार भी गड़बड़ नहीं करनी चाहिए और सेवा संभाल चुके जत्थे को सेवा किये जाने देनी चाहिए । दीवाली वाली रात को कुछ निहंग सिंघों ने फिर श्री अकाल तख्त पर कब्जा करने और गड़बड़ मचाने की नीयत धारी। बाबा केहर सिंघ पट्टी व अन्य बुद्धिमान मुखियों ने उनको समझाने का प्रयत्न किया पर वे न माने। इस पर अकाल तख्त की सेवा करने वाले अकाली जत्थे के जत्थेदार ने निहंगों को ललकारा कि यदि आप पंथ के साथ मुकाबला करके जोर आजमाना चाहते हो तो आ जाओ। इस पर निहंग सिंघ चुप करके खिसक लिए।

•••••

शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी

सुधारकों ने सलाह की कि पंथ के कुछ चुनींदा सज्जनों को एकत्र करके सारे पंथ की प्रतिनिधि व साझी कमेटी बनाई जाए जो गुरद्वारों का प्रबंध और सुधार करे । इस सम्मेलन की खातिर श्री अकाल तख्त साहिब से हुकमनामा जारी किया गया जिस में चारों तख्तों, गुरद्वारों सिख संगठनों, खालसा कालेजों व स्कूलों, सिख रियासतों, सिख सैनिकों व निहंग सिंघों के जत्थों को कहा गया कि वे अपने–अपने नामित प्रतिनिधि 15 नवंबर सन् 1920 को श्री अकाल तख्त साहिब में होने वाले पंथक सम्मिलन में भेजें।

इस सम्मिलन की तारीख से दो दिन पूर्व सरकार ने श्री दरबार साहिब अमृतसर और इस से संबंधित अन्य गुरद्वारों,जैसे तरन तारन के प्रबंध के लिए 36 सज्जनों की कमेटी बना दी । यह सभी सज्जन गुरद्वारा सुधार लहर के पक्षधर थे। सरदार हरबंस सिंघ जी अटारी इस कमेटी के प्रधान नियुक्त हुए । देश भर में से सभी तरह के विचारों व राय वाले सिख 15 और 16 नवंबर के पंथक सम्मिलन में शामिल हुए । फैसला हुआ कि सारे सिख गुरद्वारों के प्रबंध के लिए 175 सिखों की कमेटी बनाई जाए जिसका नाम शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी हो । सरकार द्वारा नियुक्त किये गये 36 मैंबर भी इस कमेटी में शामिल कर लिए गए।

इस कमेटी में सिख रियासतों के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त विदेशों जैसा – बर्मा, मलाया, चीन अमरीका की सिख सोसायटियों को भी प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया । इसी सम्मिलन में पांच प्यारों का चुनाव किया गया जिन्होंने शिरोमणी कमेटी के सारे सदस्यों की सोध सुधाई (विचारात्मक एकता) करनी थी । पांच प्यारे (1) संत भाई तेजा सिंघ एम. ए. मस्तूआणा (2) भाई जोध सिंघ एम. ए. (3) बावा हरकिशन सिंघ एम.ए. (4) जत्थेदार भाई तेजा सिंघ सेंट्रल माझा दीवान (5) सरदार बलवंत सिंघ रईस कला । 12 दिसंबर को इस कमेटी की पहली बैठक श्री अकाल तख्त साहिब पर हुई । उस दिन पांच प्यारों ने कमेटी के हर एक सदस्य की सुधाई की । इन में सरदार सुंदर सिंघ मजीठिया भी शामिल थे। उपरांत जब सारे मैंबरों सहित पांच प्यारे अकाल तख्त के सामने संगत में उपस्थित हुए और मजीठिया जी ने जिन के बारे में उनके सरकार का पिट्ठू होने का दोष था, पांच प्यारों की आज्ञा पा कर 'हम अवगुण भरे इक गुण नाहीं' शब्द पढ़ते हुए अति नम्रता में संगत को निश्चय करवाया कि उन्होंने जान बूझ कर गुरू पंथ की अवज्ञा कभी नहीं की और न ही आगे से करेंगे । संगत ने गुरू पंथ के क्षमा करने वाला होने का बिरद पालन करने हुए केवल उन्हें क्षमा ही नहीं कर दिया बल्कि उनको शिरोमगणी गुरद्वारा कमेटी का पहला प्रधान चुना ।

उप प्रधान सरदार हरबंस सिंघ अटारी और सैक्रेटरी सरदार सुंदर सिंघ जी रामगढ़िया नियुक्त हुए। नियमावली का मसौदा तैयार करने के लिए एक उप समिति बनाई गई । 30 अप्रैल सन् 1921 को शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी रजिस्टर करवाई गई।

कमेटी की नियमावली तैयार हो कर स्वीकार होने के पश्चात जुलाई सन् 1921 में पंथ ने वोटो के द्वारा नई कमेटी के चुनाव द्वारा बनाए जाने वाले सदस्यों का चुनाव किया। इस प्रकार चुने गए सदस्यों ने कुल संख्या का पांचवां हिस्सा 14 अगस्त को नामजद किया । इस प्रकार कमेटी पूरी हो गई। इस पूरी कमेटी का समारोह 27 अगस्त, 1921 को श्री अकाल तख्त साहिब पर हुआ । इसमें 31 सदस्यों की अंतरिम समिति बनाई गई और नीचे लिखे पदाधिकारी चुने गए –प्रधान सरदार खड़क सिंघ जी रईस, स्यालकोट, सैक्रेटरी सरदार सुंदर सिंघ जी रामगढ़िया अमृतसर, उप प्रधान सरदार बहादुर महिताब सिंघ जी बैरिस्टर।

(1) अंग्रेजी राज्य के पंजाब में स्थापित होने के पश्चात सिखों में उठी हुई धार्मिक, शैक्षणिक और राजनीतिक लहरों ने सिखों में बड़ी जागृति पैदा की और उनके लिए यह सहन किये जाना कठिन हो गया था कि सरकार या सरकार के पिट्ठू महंत और उनके पुजारी उनके धर्म स्थानों व अन्य आश्रमों पर काबिज रहें और निजी लाभों हेतु इन का प्रयोग करें।

(2) गुरद्वारों में सिख धर्म मर्यादा और सिखी रहित के अभाव और पराधर्मी व ब्राहमणी रीतियों रस्मों के दिनों–दिन बढ़ रहे प्रवेश ने सिखों को इन के विरुद्ध कदम उठाने के लिए मजबूर किया। कई स्थानों पर प्रबंध सीधे ही पतित और सिखी रहित हीन लोगों के हाथों में चला गया था।

(3) समूचे तौर पर महंतों और पुजारियों की आचरणहीनता और दर्शन को आए यात्रियों की नित्य नई सुबह को अपमान सहन करना, सहनशक्ति की सीमाएं पार कर चुका था नामरस और शांति के स्रोत प्रतीत कहलवाने की बजाए गुरद्वारे विकार कमाने की जगह बन रहे थे,जिस को सहन किये जाना संभव नहीं रहा था।

(4) महंत व पुजारी गुरद्वारों और संबधित जागीरों व जायदादों को केवल निजी विरासत ही नहीं समझते थे बल्कि बहुत स्थानों पर सरकारी कागज़ों में उन्होंने इन के पंजीकरण बतौर मालिक करवा लिए थे बल्कि कइयों ने गुरद्वारे की जाएदादों या इस का कुछ हिस्सा बेच बांट कर खा लिया था या इसकी विक्रय राशि से व गुरद्वारों से होने वाली नित्यप्रति की आय से, नवीन संपत्तियां खरीद कर अपनी संतान के नाम लगवा ली थी।

जो जायदाद या जमीन आरंभ में गुरु के लंगर आदि के लिए गुरद्वारे के नाम लगाई गई थी, उस को धीरे–धीरे कुछ पुश्तों तक महंतों पुजारियों ने उनके गुर भाइयों व चेलों ने, आपस में बांट कर अपने–अपने कब्जे बना लिए थे। उदाहरण के तौर पर गुरद्वारा जन्म स्थान ननकाणा साहिब की, कई हजार घुमांव की जमीन का मालिक अकेला नरैण दास ही नहीं था, बल्कि उसके अतिरिक्त बावा साहिब दास, लाभ दास, गंगा राम, आत्मा राम, अत्तर दास आदि कितने ही और मालिक बने हुए थे । इसी प्रकार गुरद्वारा माल जी और क्यारा साहिब की जमीनों के कई मालिक थे। अकेले गुरद्वारा बाल लीला का एक महंत व 37 और पत्तीदार थे जिन्होंने आपस में समूची जायदाद, ज़रई और सिकनी को टुकड़े टुकड़े कर दिया था । फिर ये लोग केवल इन जमीनों की आय को ही नहीं खा उड़ा रहे थे, बल्कि इनके हाथों कई ज़रई जमीनों के टुकड़े मामूली पैसे दे कर या किसी और बहाने से अन्य लोगों ने आरक्षित या मौरूस करवा लिए थे जैसे गुरद्वारा माल जी साहिब का 225 एकड़ रकबा सरदार बलाका सिंघ भंबे ने,चाह खिपवाली के मौरूसी हकूक मुहंमदे वसीर ने,वाड़ा तरखाणा बढ़ई सरदारों ने, और पंद्रह सौ घुमाव का पैड़े वाली का सालम गांव मुसलमान कुर्मियों ने संभाल लिया था जो फिर कभी भी गुरद्वारों की मलकीयत न बन सके । इसके अतिरिक्त ननकाणा साहिब शहर की लाखों रूपए की संपति जिस को महंत अहातों के रूप में बेच बांट कर खा गए थे, उस का तो कोई हिसाब ही नहीं है ं यही दशा देश भर के अन्य सारे इतिहासिक गुरद्वारों से संबधित जायदादों की थी।

पर इस प्रकार की घरेलू बांट व लूट मार के अतिरिक्त सांप्रदायिक तौर पर भी इन संपत्तियों को हड़प करने का काम भी किया जाता रहा। सिंघ सभा लहर द्वारा उठी जागृति ने महंत व पुजारी श्रेणी को चौकन्ना तो कर ही दिया था, इन्होंने अपनी–अपनी श्रेणी के मंडल तब अखाड़े स्थापित करके उनकी शरण लेने के प्रयास ही नहीं थे किये, बल्कि गैर सिख प्रैस व गैर सिख संस्थाओं की सहायता

लेने से भी संकोच नहीं किया था। बल्कि स्वंय अपने आपको और अपने प्रबंध के अधीन गुरद्वारे और उन की संपत्तियों को उन्हें सौंपने के प्रयत्न भी किये गए थे। उस समय का विख्यात समाजी उर्दू अखबार बंदे मातरम, लाला लाजपत राय जी के संरक्षण में लाहौर से प्रकाशित होता था और लाला जी समय के माने हुए आर्य समाजी लीडर थे। महंत नरायण दास ने इस का लाभ उठाने हेतु तीन हजार रूपए (उस समय तीन हजार एक खासी मोटी रकम समझी जाती थी) बंदे मातरम अखबार के लिए दे कर लाला जी को उसका पक्ष रखने को तैयार कर लिया और लाला जी की सलाह से गुरद्वारा जन्म स्थान ननकाणा साहिब और संबधित जायदाद के प्रबंध हेतु एक ट्रस्ट स्थापित किया जाना स्वीकार किया गया। सारी बातचीत तय हो जाने पर महंत ने पूछा "लाला जी यदि अकाली जन्म स्थान का कब्जा छीनने को आ गए तो उनके साथ कौन निपटेगा? लाला जी बोले, "महंत साहिब उनसे तो आप ही को टकराना होगा, मौके पर आप ही तो होंगे, लड़ने के लिए हम लोग लाहौर से थोड़ा आएगे?"

"तो फिर ट्रस्ट बनाने का मुझे क्या लाभ हुआ?" महंत ने कहा ।

हमारा इस विस्तार में जाने का भाव यह बताना ही है कि उस समय में गुरद्वारों के महंत व पुजारी कहां तक गिर चुके थे।

(5) कई स्थानों पर श्री गुरू ग्रंथ साहिब के प्रकाश की मर्यादा को समाप्त कर उन स्थानों को मूर्ति तथा ठाकुर द्वारों में परिवर्तित कर दिया गया था या निजी रिहायश का स्थान बना लिया गया था।

(6) हर गुरद्वारे के महंत ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए यथाशक्ति शस्त्र – अस्त्र एकत्र करने और गुंडे बदमाशों का आश्रय व प्रदर्शन शुरू कर दिया था। बल्कि कई स्थानों पर तो उनको नौकरियों पर ही रख लिया गया था।

(7) उदासी सांप्रदाय का महंतों की सहायता के लिए उदासीन महां मंडल स्थापित करना और इसी प्रकार सांप्रदायिक ज़हनीयत रखने वाले कई हिंदू संप्रदायों का सिख विरोधी भावना को हवा देना और महंतों की सहायता पर उत्तर आना भी, अपने गुरद्वारे संभाल लेने की प्रेरणा देते थे।

उक्त दशा में गुरद्वारओं को सिखों के निजी प्रबंध में लाने का विचार जोर पकड़ता जा रहा था परंतु न सरकार और न ही सरकारी कानून सिखों की सहायता करते थे। फिर भी स्थान स्थान पर, स्थानीय दशा के अनुसार संबंधित सिखों द्वारा सरकारी अदालतों के दरवाजे खटकाए गए और 40 – 50 साल तक यह प्रयास भी किये जाते रहे कि गुरद्वारों संबंधी सिख अधिकार सुरक्षित हों । पर इन बातों पर सिखों के न केवल लाखों रूपए बर्बाद हुए बल्कि इन को कई स्थानों पर बहुत झुकना और अपमानित भी होना पड़ा और कई गुरद्वारे व उन की जायदादों से, सरकार के विरोध के कारण हाथ धोना पड़ा ।

ऐसी दशा में जब कि कानून भी सहायता न करे, समाज की बहु संख्या विरोधी धड़े का पक्ष लेती हो और सरकार को यह भय हो कि सिखों के हाथों में यदि गुरद्वारें चले गए तो उनका सामर्थय व मनोबल बढ़ जाएगा, सिखों के लिए और कोई चारा नहीं था, सिवाय इसके कि वे गुरद्वारों पर जबर्दस्ती कब्जा करते या गुरद्वारों से सदा के लिए हाथ धो बैठते । पर ऐसा होना सिख अस्तित्व को समाप्त कर देने के तुल्य था । इस बात पर दीर्घ विचार करने के पश्चात शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सिखों के जत्थे भेज कर गुरद्वारों पर कब्जा करने की नीति को अपनाया। ऐसा करने के दो ही साधन थे – यातनाएं और घोर यातनाएं सहन करना । अर्थात लड़ना और मरना या हाथ न उठाते हुए विरोधी के

वारों को सहन करना । सिखी जीवन का निर्माण इन दोनों पक्षों से किया गया है । सिख सहन करना भी जानता है और मरना मारना भी जानता है। सिख के लिए आदेश है कि वह सभी साधन आजमा कर देख ले। सहन शक्ति में पेड़ जैसा जिगरा दिखलाए 'दरवेसां नो लोड़ीऐ रूखां दी जीरांद' पर ऐसा करने के बावजूद यदि शत्रु सीधे रास्ते पर न आए तो शस्त्र हाथ में ले कर मैदाने जंग में जूझने से भी संकोच न करे । गुरद्वारा प्रबंध सुधार के काम में वह बाकी सारे प्रयत्न अपना चुके थे, केवल सहने वाली बात अभी बाकी थी। सिख इतिहास में इस को अपनाने की भी श्री गुरू अर्जन देव जी की शहादत से ले कर अनेक मिसालें उनके सामने थी जिस के लिए गुरूदारों को पंथक हाथों में लाने के संबंध में शिरोमणी गुरद्वारा कमेटी ने अदम्य यातनाएं सहन करने के हथियार का प्रयोग करना ठीक समझा । वैसे भी तशदद करके सिख, फौजदारी कानून के अधीन, जेलों में भेजे जा सकते थे बल्कि यदि सरकार भी पक्ष बन कर सिखों के विरोध में खड़ी हो जाए, जैसा कि हुई घटनाओं में बिल्कुल संभव था, तो निहत्थे सिखों के लिए सरकार का मुकाबला करना कठिन था । इस प्रकार सिखों के लिए एक ही अदम्य तशदद का रास्ता ही बाकी था फिर इन्ही। दिनों भारतीय कांग्रेस ने असहयोग और अदम्य तशदद के प्रस्ताव पास किये हुए थे जिस को अपनाने से सिख कांग्रेस की हमददी भी प्राप्त कर सकते थे। यह नीति भी इस की प्रेरणा देती थी। अतः इन बातों पर विचार करते हुए शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने यह फैसला किया कि गुरद्वारों को अपने कब्जे में लेने के लिए सिख जत्थे जाएं, परन्तु यदि महंतों द्वारा मुकाबला हो तो जत्थे बिना आगे से हाथ उठाए उन के द्वारा होने वाले वार सहन करें और ऐसा करते हुए भले ही शहीद भी हो जाएं अपने स्थान पर डटे रहें। सिखों के लिए जिन की नित्य की अरदास "जूझ मरों रण में तज भय" वाली हो, आगे से हाथ न उठाने का फैसला मानना कठिन तो था, पर सिखों ने जो कर दिखलाया इस से प्रभावित हो कर उस समय के मुसलिम अखबार सियासत के सांपादक सैयद हबीब ने अपने एक पत्र में प्रकाशित किया था:

बहादुरी में वोह एकलोता है लेकिन नहीं हैं कुवत्तए बर्दाश्त में भी खाली सिख।

शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के उक्त फैसले से पूर्व 28 नवंबर 1920 को यह सुचना मिलने पर कि गुरद्वारा पंजा साहिब का महंत मिठा सिंघ मर गया है, एक जत्था भाई करतार सिंघ झब्बर की जत्थेदारी में पंजा साहिब को रवाना हो गया था। रास्ते में गुजरखान व रावलपिंडी से भी कुछ सिख जत्थे साथ में शामिल हो गए थे। 19 व 20 नवंबर को महंत मिठा सिंघ के भाई संत सिंघ के साथ समझौते की सूरत बनाई गई, परंतु हसन अब्दाल के हिंदू मुखियों ने संत सिंघ को फैसले से मुनकर करवा दिया। जिस पर सिखों ने गुरद्वारे पर कब्जा कर लिया और संत सिंघ को वहां से निकाल दिया। कई दिन की मामूली गड़बड़ के अतिरिक्त यहां पर कोई विशेष घटना नहीं हुई। इससे जल्द ही बाद गुरद्वारा सच्चा सौदा, गुरद्वारा महाराणी नकैण जिला शेखुपुर आदि कई स्थानों पर कब्जे कर लिए गए।

जत्थों के द्वारा गुरद्वारों पर कब्जे के विचार ने सिखों को स्थान-स्थान पर संगठित हो जाने की प्रेरणा की । सेंट्रल माझा खालसा दीवान नाम का जत्था तो पहले बना हुआ था, पर गुरद्वारा सुधार लहर के आरम्भ होने के साथ ही नये अकाली जत्थे अस्तित्व में आ गए यथा बार खालसा दीवान, अकाली दल खरा सौदा बार, मालवा दीवान धुरी आदि।

शिरोमणी अकाली दल:

गुरद्वारा प्रबंध सुधार लहर (अकाली लहर) ने सारे पंथ में जोश पैदा कर दिया था। हजारों सिख शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का ओदश मान कर हर प्रकार की यातनाएं को झेलने व कुर्बानी करने को तैयार थे। पंथ के इन पंथ सेवा के उत्साही धर्म सिपाहियों को जत्थेबंद करने की आवश्यकता थी ताकि ये उचित मर्यादा में रह कर काम कर सकें। शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के लिए गुरद्वारा प्रंबध का ही काम बहुत बड़ा था। उस को पंथ में ऐसे राजनीतिक संगठन कायम करने का समय नहीं था।

इसलिए शिरोमणी कमेटी की सहायता के लिए, उस के फैसलों व आदेशों को प्रयोग में लाने, उन के अनुसार कारवाई करने – करवाने के लिए एक अलग संगठन बनाने का फैसला हुआ। यह संगठन 14 दिंसबर सन् 1920 को कायम हुआ। इसका नाम शिरोमणी अकाली दल रखा गया। इसकी शाखाएं हर जिलें में और आगे प्रत्येक तहसील, ज़ैल व थाने में कायम की गई। इस संगठन ने कमाल के काम कर दिखलाए। शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के आदेशों का पालन करने व करवाने के अतिरिक्त, इस ने समाज सुधार व गुरमत प्रचार के मैदान में भी शानदार काम किया। बाद में यह जत्थेबंदी राजनीतिक मामलों में अधिक भाग लेने लग गई थी और समय पा कर यह लगभग विशुद्ध राजनीतिक पार्टी बन गई।

श्री तरन तारन साहिबः

श्री तरन तारन का प्रबंध श्री दरबार साहिब अमृतसर के सरंक्षक के अधीन था, पर दूर होने के कारण यहां के पुजारी काफी मनमर्जी करते थे। वे गुरद्वारे की आय को आपस में बांट लेते थे। बहुत से पुजारी और भी कर्म किया करते थे। गुरद्वारे में कीर्तन, प्रकाश, सफाई आदि के लिए काफी व्यय नहीं किया जाता था। पुजारी बड़े भुतरे व बिगडैल हुए पड़े थे। गुरद्वारे में कई तरह की कुरीतियां प्रचलित थी। कई पुजारियों का आचरण अति मलीन था। वे शराबी कबाबी व मलवई भी पहुंच कर थे। कई पुजारी शराब से गुट हो कर गुरद्वारे जाया करते थे। कई हाथों में बटेर पकड़े श्री गुरू ग्रंथ साहिब की हजूरी में आ जाते थे। वे धौंस से कहते थे कि गुरद्वारा उनकी दुकान है, जिस की मर्जी है यहां पर आए और जिस की मर्जी है वह न आए। वहां पर किसी स्त्री की इज्जत सुरक्षित नहीं थी। माथा टेकने आई महिलाओं से वे छेड़खानी किया करते थे।

जब पंथ ने गुरद्वारों के प्रबंध को ठीक करने का बीड़ा उठाया तो यहां के पुजारी, कमिश्नर मिस्टर किंग को मिले। उसने उनको उकसाया कि गुरद्वारें में उनके पक्के अधिकार हैं और यदि कोई उन्हें इन से रोकता है तो सरकार उनकी मदद व रक्षा करेगी। वे और भी अधिक भूतर हो गए। 24 जनवरी 1921 के श्री अकाल तख्त के सामने दीवान में एक महिला ने तरन तारन के पुजारियों द्वारा किए गए अत्याचार का वर्णन किया। उसने कहा, "पुजारियों ने मेरे पुत्र के गले के साथ पत्थर बांध कर उसको सरोवर में फेंक दिया, मेरी बेटी को गुरद्वारे के अंदर छेड़ा और तंग किया गया। लड़कियों के साथ वहां पर नित्य – दिन छेड़खानी व टिचरबाजी की जाती।" उसकी वार्ता सुन कर संगत में बहुत जोश व रोश पैदा हो गया। अकालियों ने उसी समय गुरू व वाहिगुरू के सम्मुख अरदास की और तरन तारन के सुधार के लिए अगवाई व सहायता मांगी।

अगले दिन 25 जनवरी 1921 को सुबह की गाड़ी से भाई तेजा सिंघ भुच्चर की जत्थेदारी में 40 सिखो का जत्था तरन तारन पहुंचा। जत्थे ने दरबार साहिब में बैठ कर कीर्तन सुना। पुजारियों में कुछ घबराहट सी देख कर जत्थेदार ने कहा, "चिंता न करो, हम गुरद्वारे पर कब्जा करने की नहीं आए।

हम तो समझौते के द्वारा संगत की शिकायत दूर करने की खातिर आए हैं।" दरबार साहिब में पुजारियों की संख्या इस समय 70 के करीब थी। उन में से नौजवानों ने जत्थे को गालियां निकाली और सिखों पर वार भी किये। पर अकाली शांत रहे। बड़ी आयु वाले पुजारियों ने अकालियों के इरादे की प्रशंसा की और कहा कि हम शांतिपुर्ण समझौता करने का प्रयत्न करेंगे।

उस दिन शाम के चार बजे पुजारियों और जत्थे के प्रतिनिधियों और तरनतारन के कुछ मुखियों का सम्मिलन हुआ। समझौत की ये शर्ते पेश हुई

(1) गुरद्वारे का प्रबंध शिरोमणी गुरद्वारा कमेटी के बनाए हुए नियमों के अनुसार हो,

(2) प्रबंध की देखभाल करने के लिए शिरोमणी कमेटी के साथ सबंधित एक स्थानीय कमेटी बनाई जाए,

(3) कुरीतियों को दूर किया जाए और भविष्य में पंथ को किसी शिकायत का अवसर न दिया जाए,

(4) केवल अमृतधारी व रहित के पक्के सिखों को ही ग्रंथी बनाया जाय और

(5) जिन पुजारियों ने सिखी रहित भंग की है, वे संगत द्वारा लगाई गई सजा को स्वीकार करें।

शाम को साढ़े पांच बजे के करीब, पुजारियों के प्रतिनिधियों ने ये शर्ते मान लीं और कहा कि उन्हें बाकियों के साथ सलाह कर लेने दी जाए वे दरबार साहिब के अंदर चले गए जहां पर पुजारी बहुत बड़ी संख्या में एकत्र हुए पड़े थे। जत्थे के प्रतिनिधि दरबार साहिब के सामने परिक्रमा में सजे हुए दीवान में चले गए।

रात के साढे आठ बजे, दो पुजारी बाहर आए और कहने लगे कि सभी पुजारी इन शर्तो को मानते है। जत्थे के कुछ मुखी अंदर चलकर इन पर उनके हस्ताक्षर करवा लें।

तरन तारन के भाई मोहन सिंघ वैद को शर्ते साफ करके लिखने के लिए बाहर भेजा गया।

उधर से पुजारियों के प्रतिनिधियों ने माना कि दरबार साहिब का ग्रंथी इस सेवा के लायक नहीं और कहा कि जब तक और कोई उसके स्थान पर नहीं लगाया जाता, जत्थे में से भाई सरन सिंघ, ग्रंथी की सेवा को निभाएंगे। भाई सरन सिंघ व कुछ अन्य सिंघ दरबार साहिब के अंदर गए। उधर से दीवान में बैठे सिखों पर साथ के मकान से ईटे पत्थर व बंब फेंके गए। कई आदमी घायल हो गए।

उस समय दरबार साहिब के अंदर गए सिखों पर ऊपर से वार किये गए। शराब से गुट हुए पुजारियों ने छवियों, गंडासों व लाठियों से इन सिखों पर हल्ला किया। वे सिख आगे से बिल्कुल शांत रहे। पुजारियों ने दरबार साहिब के दरवाजों के आगे पर्दे तान दिये थे और लैंप बुझा दिये थे। इस कारण और बाहर गिरे पत्थरों व बंबों से पड़े शोर के कारण, बाहर किसी को पता ही न लगा कि अंदर क्या हो गया है। दरबार साहिब के अंदर जत्थे के 17 सिख घायल हुए और दो – भाई हजारा सिंघ और भाई हुकम सिंघ – शहीदी पा गए। ये दोनों पहले शहीद थे जिन्होंने गुरद्वारों की पवित्रता की खातिर अपनी जानें भेंट की थी।

26 जनवरी 1921 को सिखों ने दरबार साहिब तरन तारन का प्रबंध संभाल लिया। गुरद्वारे के प्रंबध के लिए 15 सिखों की कमेटी बनाई गई।

शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बहुत उत्साह और धर्म भावना से गुरद्वारा प्रबंध सुधारने का काम शुरू किया। संगत व पुजारियों को प्रेरित करने के प्रयास किये गए कि वे अपने – अपने अधीन

गुरद्वारे पंथ की चुनी गई कमेटी के हवाले करे दें। जो – जो मान गए, उन को गुजारे के लिए वेतन, रहने को मकान आदि दे कर समझौते किये गए। इन प्रयत्नों के फलस्वरूप चोला साहिब, खडूर साहिब हेठीयां, तेजा साहिब एमनाबाद, गुरू का बाग, खरा सौदा, पंजा साहिब, गुरद्वारा भाई जोगा सिंघ, पेशावर, समाधि अकाली फूला सिंघ आदि अनेकों गुरद्वारे पंथक प्रबंध में आ गए। उनके प्रबंध के वास्ते स्थानीय कमेटियां बनाई और शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ संबद्ध की गई। कुछ और स्थानों पर इस कार्य में खासे अवरोध पैदा किये गए जिनके कारण पंथ को काफी कुर्बानी करनी पड़ी।

शिरोमणी कमेटी बन जाने के पश्चात भी सारे पंजाब में गुरद्वारों पर जबर्दस्ती कब्जे करने की लहर जारी रही। कमेटी भी इस में रोक न डाल सकी । सरकार अपने स्थान पर चिंतातुर थी। वह अकालियों की बढ़ रही शक्ति व गुरद्वारों पर किये जा रहे जबर्दस्ती कब्जों को कैरी आंख से देख रही थी। सरकार ने महसूस किया कि यदि गुरद्वारों के प्रबंध के लिए कानून बना दिया जाए तो यह लहर अपने आप ही खत्म हो जाएगी। अतः नई बनी कमेटी की सलाह से गुरद्वारा बिल तैयार करना आरंभ कर दिया गया।

इस मांग के संबंध में सरकारी पक्ष, सर जान मेनाई के इस ब्यान से स्पष्ट हो जाता है:

"एक राज्य के अंदर दूसरा राज्य सहन नहीं किया जा सकता और यदि सारे इतिहासिक गुरद्वारे एक केंद्र के अधीन लाए जाएं तो इस केंद्र में पंजाब सरकार जितनी शक्ति आ जाएगी।"

सर जान मेनाई यह नहीं था जानता कि सिखों की कुर्बानियां, अंग्रेजी सरकार को ये कड़वी गोलियां खाने के लिए जल्द ही मजबूर कर देंगी।

सिखों में गुरद्वारा श्री ननकाणा साहिब के महंत नरैण दास के विरुद्ध, उस के दुर्व्यसन व एयाशी के कारण गुस्सा व जोश बढ़ रहा था। सरदार लछमन सिंघ धारोवाली जिला शेखूपुरा ने ननकाणा साहिब पर कब्जा करने के लिए शहीदी जत्था भर्ती करना शुरू कर दिया। करतार सिंघ झब्बर ने अपना जत्था ले कर ननकाणा साहिब के समीप भाई लछमण सिंघ के शहीदी जत्थे को आ कर मिलना था।

महंत नरायण दास को इस योजना का पता चल गया। उसने पहले ही तैयारी कर रखी थी। सरकारी उच्चधिकारियों को मिल कर बहुत से हथियारों के लाएसेंस प्राप्त किये हुए थे और वह दूर समीप के बदमाश भी अपने पास रखता था । वह भी ऐसे समय की इंतजार कर रहा था।

शिरोमणी कमेटी को भी पता लग गया था कि 19 फरवरी को भाई लछमण सिंघ का जत्था ननकाणा साहिब के समीप पहुंच जाएगा और 20 फरवरी को अमृत – बेला (प्रातःकाल) में गुरद्वारे पर कब्जा कर लेगा। भाई लछमण सिंघ जी शहीद अपने जत्थे के सिखों सहित श्री ननकाणा साहिब पहुंच कर शहीद हो गए। दूसरे दिन सरदार करतार सिंघ जी झब्बर के जत्थे ने जो शस्त्रों से लैस हो कर श्री ननकाणा साहिब पहुंचा था, अंग्रेज सरकार को भयभीत कर दिया और इस प्रकार गुरद्वारा ननकाणा साहिब का समूचा प्रबंध सिखों के कब्जे में आ गया घटना को विस्तार से जानने के लिए आप को पढ़ना होगा।

गुरद्वारा पंजा साहिब हसन अब्दाल, श्री दरबार साहिब तरन तारन (अमतृसर) और ननकाणा साहिब (शेखुपुरा) आदि प्रमुख इतिहासिक स्थान पंथक कब्जें में आने पर सिखों का हौंसला और भी बढ़ गया। सिखों ने अंग्रेजी के सरकार साथ करड़ी टक्कर लेना आरंभ कर दिया।

इस जदो जहिद का परिणाम यह हुआ कि सन् 1921–22 में अंग्रेजी सरकार के साथ गुरू खालसा के दो मोर्चे लगे – (1) श्री दरबार साहिब अमृतसर की चाबियों का मोर्चा (2) गुरू के बाग अमृतसर का मोर्चा। पहला मोर्चा डी.सी. अमृतसर द्वारा श्री दरबार साहिब अमृतसर की चाबियां, जबर्दसती मंगवाने के कारण 21 नवंबर सन् 1921 को लगा। इस चाबियों के मोर्चे का मूल कारण यह था कि सरकार पंजाब के 20 अप्रैल 1921 के आदेश के अनुसार श्री दरबार साहिब, शिरोमणी कमेटी के अधिकार में होने के कारण इस की चाबियां शिरोमणी कमेटी के पास थी और संरक्षक शिरोमणी कमेटी के अधीन काम करता था पर फिर सरदार सुंदर सिंघ मजीठा के प्रधानगी से हटते ही जब सरदार खड़क सिंघ जी कमेटी प्रधान नियुक्त हुए तो कुछ शक पड़ने के कारण, डिप्टी कमिश्नर अमृतसर ने 7 नवंबर 1921 को वे चाबियां सरदार सुंदर सिंघ जी रामगढ़िया, उप प्रधान शिरोमणी कमेटी से पुलिस के द्वारा ले लीं और प्रमुख सिखों को कहा कि शिरोमणी कमेटी क्योंकि सिखों की प्रतिनिधि संस्था नहीं है इसलिए आप प्रतिनिधि समिति बनाओ तो सरकार चाबियां देने को तैयार है। बस, फिर क्या था। इसी कारण 21 नवंबर 1921 को अमृतसर में पंथ द्वारा चाबियां का मोर्चा लगा जो लगातार काफी जदोजहिद होने पर 17 जनवरी सन् 1922 को सरकार द्वारा सारे सिख कैदी छोड़े जाने पर, चाबियां वापिस करने पर समाप्त हो गया। इसके पश्चात दूसरा मोर्चा गुरू के बाग का 8 अगस्त 1922 ई० को वहां के गुरद्वारा श्री गुरू अर्जुन देव जी के गुरू के लंगर के लिए गुरू के बाग में से सिखों द्वारा लकड़ियां ले जाते समय, वहां के महंत के उकसाने के कारण, सरकारी कर्मचारियों के उस में रोक डालने से आरंभ हुआ। यह मोर्चा अंग्रेजी सरकार की सख्तियों के कारण अधिक दुखदाई सिद्ध हुआ। इस में 17 नवंबर सन् 1922 तक लगातार ग्रिफतारियां होने पर 5605 अकाली कैद करके अलग–अलग जेलों में डाल दिए गए और कितने ही अकाली पुलिस की सख्तियों के कारण मारे भी गए। आखिर अंग्रेजी सरकार को सिखों की इस अनथक जदोजहिद के सम्मुख हथियार फेंकने पड़े जिसके कारण सरकार ने गुरू के बाग की जमीन सर गंगा राम को ठेके पर दे कर, मुश्किल से इस मोर्चे से पीछा छुड़ाया और सारे कैदी बिना शर्त रिहा कर दिए।

नाभा एजीटेशन व जैतो का मोर्चा:

गुरू के बाग के मोर्चे के दिनों में अकालियों के साथ अंग्रेजी सरकार की धक्केशाही को देख कर गर्म धड़े के सिखों द्वारा सरकारी कर्मचारियों के मुकाबले के लिए पहले तो बब्बर अकाली लहर चली और फिर अगले साल 9 जुलाई 1923 को अचानक महाराज ऋपुदमन सिंघ नाभा को गद्दी से उतारे जाने पर नाभा एजीटेशन की शक्ल में, जैतो का मोर्चा गर्म हुआ। इस मोर्चे में पहले 25–25 सिखों के कितने ही जत्थे भेजे गए और फिर जब इस जदोजहिद का कोई प्रभाव सरकार पर न हुआ तो श्री अकाल तख्त अमृतसर से शहीदियां प्राप्त करने का प्रण करके, 9 फरवरी 1924 से अप्रैल 1925 तक पांच–पांच सौ सिखों के लगभग 17 जत्थे बारी–बारी भेजे गए। इन में से पहले जत्थे के सिखों पर गुरद्वारा टिबी साहिब (जैतो) के स्थान पर मिस्टर जाहनसटन विलसन रैजीडैट नाभा के आदेश से गोली चलाई गई और इस तरह गोली चलने पर 150 के लगभग सिख शहीद हुए और बहुत से घायल हुए। इस हत्याकांड से मिस्टर जाहनस्टन विलसन का ख्याल था कि सिख दब जाएगें और यह मोर्चा यही पर समाप्त हो जाएगा । पर परिणाम इस के विपरीत हुआ। सारे पंजाब में हाहाकार मचने के उपरांत सिखों के द्वारा और अधिक जत्थे आने शुरू हो गए और यह मोर्चा और भी गर्म हो गया।

आखिर जब बेहद ग्रिफतारियां होने पर नाभा के सारे बीड़ हवेलियां कैदियों के साथ भर गई तो कहीं तिल रखने को भी स्थान बाकी न रहा तब मई सन् 1924 में हकूमत ने हार मान ली। बाद में जल्द ही सन् 1925 में गुरद्वारा एक्ट बनते ही जैतो का मोर्चा बंद होने पर सारे अकाली कैदी बिना शर्त रिहा कर दिए गए। नोट – हम इन घटनाओं का विस्तार पूर्णन आगे के अध्यायों में पढ़ेगे।

जल्दबाज़ी में हानियां:

9 जुलाई 1925 को पंथ के गुरद्वारों का प्रबंध सिख कौम के अपने हाथ में आ गया। पर उस समय की पंथक जत्थेबंदी को पंथक नेताओं द्वारा उसी दिन के जल्दबाजी में उठाए गए कदम ने बहुत ही करारी चोट मार दी।

गुरद्वारा कानून पास हो जाने पर पंजाब के गवर्नर ने एसेंबली हाल में आ कर मैंबरों को बधाई दी और खुशी प्रकट की कि अब सिख कौम में गुरद्वारों के प्रबंध के बारे में अशांति दूर हो जाएगी। स्वाभविक तौर पर धीरे से उनके मुंह में से यह भी निकल गया कि यह गुरद्वारा कानून शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की पूर्ण सम्मति से बनाया गया है। अतः यह आशा की जाती है कि सारी सिख कौम इस को प्रयोग में लाएगी और किसी भी गुरद्वारे पर किसी भी जत्थे द्वारा जबर्दस्ती कब्जा करने का प्रयत्न नहीं किया जाएगा। गुरद्वारा आंदोलन के संबंध में जो सिख इस समय जेलों में हैं, उनमें से जो – जो सिख इस गुरद्वारा कानून पर चलने का इकरार लिख देंगे, उनको जेलों में से रिहा कर दिया जाएगा।

बहुत धैर्य, सोच विचार व संभलने का समय था। इस बात की भारी जरूरत थी कि शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के नेता सिर जोड़ कर गवर्नर के कथन पर विचार करते तथा पंथक जत्थेबंदी को शत्रु से इस नई चोट से बचाने का रास्ता ढूंढते। पर बहुत जल्दबाजी की गई। वहां पर गैलरी में बैठे हुए शिरोमणी कमेटी के एक जिम्मेवार सज्जन ने जिम्मेवारी अपने हाथ में ले ली। सभी नेताओं के साथ सलाह किये बिना ही शिमला में बैठे हुए, उन्होंने अखबारों के पत्रकारों को कह दिया कि रिहाई के बारे में गवर्नर द्वारा लगाई गई शर्त बहुत घातक है। कोई भी सिख इस को मान कर जेलों से बाहर आने को तैयार नहीं होगा। इसी प्रकार का एक एलान अमृतसर में बैठे एक अन्य नेता ने भी कर दिया।

शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के सारे पुराने अनुभवी नेता लाहौर किले में बंद रह गए। उनकी राय किसी ने जा कर पहले पूछने की आवश्यकता नहीं समझी। और उन्हीं ने ही कई महीनों तक परिश्रम करके गुरद्वारा कानून बनवाया था।

अखबारों में बयान देने वाले मुखियों के ब्यान पढ़ सुन कर, सिख जनता के मुंह हैरानी से अवाक रह गए। पड़ोसी कौमों के जिम्मेवार लोगों में यह बातें होने लगी कि सिख बहादुरों द्वारा पुलिस की लाठियों व गालियों के सामने दिखलाई गई शूरवीरता शायद भांग के भाव ही जाती दिखती है। शत्रुओं की गोलियां के आगे छाती बिछाने वाला शेर मर्द राजनीति के अखाड़े में पैंतरे से उखड़ गया प्रतीत होने लगा है।

पूरे पांच साल जत्थेबंद रह कर वैरी को अपनी कुर्बानी की शान दिखला सकने वाले आज जत्थेबंदी के लाभ को भुलाकर कोई आपसी मिलजुलकर फैसला किये बिना ही, कुछ नेता अपने दमगजे मारने लग गए। जत्थेबंदी की कमर टूट गई। सिख जनता मुंह उठाए लाहौर किले में बंद पचास नेताओं के संयुक्त सदेश का इंतजार कर रहा थी। पर बाहर के दो दमगजों ने अंदर की आवाज़ किले के अंदर ही बंद कर दी। आज पहला अवसर था जब उन्होंने कौम को सामुहिक फैसला देने से संकोच किया।

इस का परिणाम यह हुआ कि बाहर पंथ में स्थान – स्थान पर अंदर ही अंदर, गुप – चुप बातें होने लगी।। पंथ दो धड़ों में बंट गया। खालसाई राज्य की खत्म होती शान के बारे में शाह मुहम्मद की आह! कई हसरत भरे दिलों में स्वतः ही निकल कर, अब दूसरी बार याद करवा रही थी कि:

शाह मुहम्मदा! इक सरकार बाझों, फौजां जित के अंत नूं हारीआं नी।

गांव गांव, शहर – शहर में इस पर बहसें चल पड़ी। एक धड़ा कहे कि जब हमारे मुखियों ने गुरद्वारा कानून कई महीने लगाकर स्वयं बनाया/बनवाया है तो ईमादारी से इस को मानने को तैयार क्यों नहीं होते। दूसरा धड़ा कहता था कि गवर्नर की लगाई हुई शर्त मान कर बाहर आना गवर्नर की टांग के नीचे के निकलने वाली बात है। वैमनस्य बढ़ता गया। शत्रु की गोलियां और लाठियां मिलकर खाने वाले आज आपस में ही एक दूसरे के शत्रु बनने लगे थे। छः मास इसी बहस – मुहासे में लग गए।

1926 का जनवरी मास आरंभ हो गया। इतने में गवर्नर ने पंथ की टूटी हुई जत्थेबंदी पर एक और चोट मारने के लिए नई चाल चली। ऐलान कर दिया गया कि गुरद्वारा कानून मानने के बारे में लिखित इकरार देने की जरूरत नहीं है। जो सिख केवल जुबानी ही हां कह दे उस को रिहा किया जाएगा। शत्रु जानता था कि सिख कौम में फूट इतनी बढ़ चुकी है कि अब वह मिल कर इस दी गई ढीली शर्त को भी मानने को तैयार नहीं होंगे।

किले में गुपचुप बातें तो पहले ही आरंभ हो गई थी। अब नए ऐलान का आश्रय ले कर खुल्लम खुल्ला दो धड़े बन गए। एक धड़े ने फैसला कर लिया कि हमने स्वयं ही कानून बनवाया है।इस को मानने के लिए जुबानी हां करने में कोई बुराई नहीं। किले के मुखियों का मुकादमा चलते हुए ढाई साल हो चुके थे। 15 जनवरी को वहां पर मैजिस्टरेट के सामने गुरद्वारा कानून पर चलने की हां करके शिरोमणी प्रमुखों का एक धड़ा (सरदार बहादुर महिताब सिंघ) बाहर आ गया।

उधर से बाहर गवर्नर की लगाई शर्त के बारे में फैसला देने के लिए शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का बड़ा दीवान भी दो तीन दिनों को हाने वाला था। किले में से आए मैंबर भी शामिल हुए और बहुसम्मति से फैसला हुआ कि जुबानी हां कह कर आने में कोई हर्ज नहीं है।

पर यह फैसला बहुत ही विलंब से हुआ। धड़ेबंदी पक्की हो चुकी थी। इस फैसले को क्षमा मांगने के तुल्य समझने वाला धड़ा अब खुल्लमखुल्ले अलग हो गया। इस का नाम अकाली धड़ा व दूसरे का नाम मुआफी मांगू धड़ा हो गया। तूं तूं मैं मैं की अग्नि सारी कौम में दमक उठी। दर्द रखने वाले पराधर्मी भाई हमारी इस दशा पर अफसोस जाहिर करने लगे और ईर्ष्या करने वालों को हंसी मजाक के लिए मसाला मिला गया। सिख दीवानों में अब धड़े का प्रचार ही प्रधान हो गया। धर्म से धड़ा अधिक प्यारा समझा जाने लग गया।

सरदार बहादुर पार्टी, अकाली पार्टी व सरबत्त खालसा कान्फ्रेंस

नाभा एजीटेशन समाप्त होते ही सारे सिख पंथ के सामने सब से बड़ा प्रश्न था नये बने गुरद्वारा कानून को स्वीकृति दे कर उसे व्यवहार में लाना। सरदार बहादुर पार्टी कानून को स्वीकार करने के हक में थी और अकाली पार्टी इस के विरूद्ध थी । इस कारण बहुत खींचातानी हुई। और एक सर्वसाझी सरबत्त खालसा कान्फ्रेस जून सन् 1926 के दूसरे सप्ताह में जलियां वाला बाग, अमृतसर में की गई। बाबा गुरदित्त सिंघ जी कामागाटामारू इस कान्फ्रेंस के प्रधान थे। इस कान्फ्रेंस में सर्व संमति से इस गुरद्वारा कानून के विरूद्ध प्रस्ताव पास किया, फिर भी सरदार अमर सिंघ व सरदार जसवंत सिंघ झबालिया के बल देने पर श्री अकाल तख्त के स्थान पर गुरमता पास करके, इस कानून को स्वीकृति दी गई जिसके समक्ष अकाली पार्टी को भी झुकना पड़ा।

गुरद्वारा सैंटरल बोर्ड के चुनाव व सरदार महिताब सिंघ की हार

इस प्रकार गुरद्वारा कानून पंथक स्वीकृति मिल जाने के पश्चात समय की मांग के अनुसार सिख राजनीति में नया मोड़ आया। इसी वर्ष 1926 की जून के पिछले दशक में गुरद्वारा एक्ट के अनुसार नए चुनाव हुए जिस में अकाली पाटी के मुकाबले में सरदार बहादुर पार्टी की हार हुई। पहले सरदार बहादुर पार्टी शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी पर पूरी तरह काबिज थी। इस नये चुनाव से अकाली मैंबर बढ़ जाने पर इस पार्टी की स्थिति इस प्रकार हो गई:

(1)	शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी (सरदार बहादुर पार्टी)	26 सदस्य
(2)	शिरोमणी अकाली दल	85 सदस्य
(3)	पंथक सुधार कमेटी	5 सदस्य
(4)	आजाद उम्मीदवार	4 सदस्य

इन मैंबरों में सिख रियासतें – नाभा, पटियाला आदि के 16 मैंबर और 14 नामजद मैंबर शामिल होने पर कुल मैंबरों की संख्या 150 हो गई।

सरदार बहादुर महिताब सिंघ का त्यागपत्र:

गुरद्वारा एक्ट के अनुसार नये चुनाव होने से जब सरदार महिताब सिंघ का धड़ा कमज़ोर हो गया तो सरदार महिताब सिंघ ने पहले शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की प्रधानगी छोड़ दी और उस के साथ ही कमेटी के कानूनी विभाग से भी अपना संबंध विच्छेद कर लिया।

इस प्रकार इस अदला बदली का पता लगने पर सरदार बहादुर पार्टी के अन्य सदस्य ज्ञानी शेर सिंघ रावलपिंडी, ज्ञानी करतार सिंघ लायलपुरी आदि भी कई प्रकार से लिखित माफियां मांग कर अकाली पार्टी के साथ जा मिले।फिर इस के पश्चात अगले महीने 17 जुलाई को अचानक लाहौर जेल में प्रसिद्ध लीडर सरदार तेजा सिंघ समुंदरी का देहांत होने पर पंथक क्षेत्रों में और भी जोश आ गया। इस के साथ ही बाबा खड़क सिंघ जी लाहौर जेल में से बिना शर्त रिहा होने पर अकाली पार्टी कुछ नवीन सुधारवादी आकांक्षाएं जागृत होने पर और भी बलवान हो गई।

सरदार तेजा सिंघ समुंदरी (20 फरवरी 1882 – 17 जुलाई 1926) आप जी ने ब्रिटीश काल में अकाली अंदोलन का नैतृत्व किया और सभी मोर्चोपर विजय प्राप्त की। आप सिख पंथ के लिए तन, मन धन तथा से समर्पित थे। जन साधारण में आप का बहुत आदर था क्योंकि लोग आप को निष्ठावान सिपाही मानते थे।

प्रिंसीपल बाबा हरिकृष्ण सिंघ जी सिख विद्वानो में आप का नाम कसतूरी की सुगंधी की तरह फैल हुआ है।आप जी द्वारा रचित श्री गुरू ग्रंथ साहिब के सटीक रूप में जाने वाली पुस्तक शब्दार्थ चार भागों में शिरोमणी कमेटी ने प्रकाशित किया है। आप जी सिख राजनीति में बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे और कई बार ऊँचे पदों पर आसीन रहे।

शिरोमणी कमेटी के प्रधानों की सूची

(अक्तूबर, 2000 तक की स्थिति)

क्रम	नाम	अवधि	
		से	तक
1.	सरदार सुंदर सिंघ मजीठिया	12.10.1920	14.8.1921
2.	बाबा खड़क सिंघ जी	14.8.1921	19.2.1922
3	सुंदर सिंघ रामगढ़िया	19.2.1922	16.7.1922
4.	सरदार बहादुर महिताब सिंघ	16.7.1922	27.4.1925
5.	सरदार मंगल सिंघ	27.4.1925	2.1.1926
6.	बाबा खड़क सिंघ जी	2.10.1926	12.10.1930
7.	मास्टर तारा सिंघ जी	12.10.1930	16.6.1933
8.	सरदार गोपाल सिंघ कौमी	17.6.1933	18.6.1933
9.	सरदार प्रताप सिंघ शंकर	18.6.1933	13.6.1936
10.	मास्टर तारा सिंघ जी	13.6.1936	19.11.1944
11.	जत्थेदार मोहण सिंघ जी नागोके	19.11.1944	28.6.1948
12.	जत्थेदार ऊधम सिंघ जी नागोके	28.6.1948	18.3.1950
13.	जत्थेदार चंनण सिंघ उराड़ा	18.3.1950	26.11.1950
14.	जत्थेदार ऊधम सिंघ जी नागोके	26.11.1950	29.6.1952
15.	मास्टर नाहर सिंघ जी	29.6.1952	5.10.1952
16.	सरदार प्रीतम सिंघ जी खड़ंज	5.10.1952	18.1.1954
17.	सरदार ईशर सिंघ जी मझैल	18.1.1954	7.2.1955
18.	मास्टर तारा सिंघ जी	7.2.1955	21.5.1955
19.	बाबा हरिकिशन सिंघजी	21.5.1955	7.7.1955
20.	सरदार ज्ञान सिंघ राड़ेवाला	7.7.1955	16.10.1955
21.	मास्टर तारा सिंघ जी	16.10.1955	16.11.1958
22.	सरदार प्रेम सिंघ लालपुरा	16.11.1958	7.3.1960
23.	मास्टर तारा सिंघ जी	7.3.1960	30.4.1960
24.	सरदार अजीत सिंघ जी बाला	30.4.1960	10.3.1961
25.	मास्टर तारा सिंघ जी	10.3.1961	11.3.1962
26.	सरदार कृपाल सिंघ जी चक शेरेवाला	11.3.1962	2.10.1962
27.	संत चंनण सिंघ जी	2.10.1962	30.11.1972

28.	जत्थेदार गुरचरन सिंघ जी टोहड़ा	6.1.1973	23.3.1986
29.	सरदार काबुल सिंघ जी	23.3.1986	30.11.1986
30.	जत्थेदार गुरचरन सिंघ जी टोहड़ा	30.11.1986	28.11.1990
31.	सरदार बलदेव सिंघ जी सिबीया	28.11.1990	13.11.1991
32.	जत्थेदार गुरचरन सिंघ जी टोहड़ा	13.11.1991	13.10.1996
33.	जत्थेदार गुरचरन सिंघ जी टोहड़ा	20.12.1996	16.3.1999
34.	बीबी जागीर कौर जी बेगोवाल	16.3.1999	जारी

•••••

शिरोमणी कमेटी द्वारा पारित किए गए कुछ जरूरी प्रस्ताव

कमेटी का दफतरी काम पंजाबी में करने के बारे में प्रस्ताव :

"गुरद्वारा सेंट्रल बोर्ड का यह सम्मिलन यह पारित करता है कि इस बोर्ड की सारी कारवाई पंजाबी में की जाया करेगी।"

"गुरद्वारा सैंट्रल बोर्ड (शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी) का यह सम्मिलन पारित करता है कि बोर्ड की हर प्रकार की कारवाई में देसी तारीखों व खालसा संवत का प्रयोग किया जाया करे, पर यदि साथ ही अंग्रेजी तारीख का प्रयोग भी किया जाए तो कोई आपत्ति नहीं होगी।" 3.10.1926

जात–पात विरोधी प्रस्ताव:

"शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की महासभा सारी संगत की सेवा में प्रार्थना करती है कि सिखों में जात पात के विचार से किसी व्यक्ति को ऊंचा या नीचा नहीं माना जाता है। इसलिए प्रत्येक जाति में से सिख सृजित हो कर आए सिख के साथ संगत–पंगत द्वारा बिना भेद भाव के व्यवहार किया जाए। खास करके प्रयत्न किया जाए कि जहां सिखों को कूओं पर इसलिए नहीं चढ़ने दिया जाता कि वे किसी छोटी जाति में से सिख बने है,वहां पर पूरी हिम्मत व उचित प्रयास के द्वारा उन को कूओं पर चढ़ाया जाए, क्योंकि मौजूदा हालात में उन का यह अपमान सिख धर्म का अपमान है।" 14.3.1927

सरकारी कागजों में सिखों की जात पात न लिखने के बारे में प्रस्ताव और उसकी स्वीकृति :

"शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का यह जनरल इजलास पंजाब सरकार के पास सिफरिश करता है कि क्योंकि सिख मजहब, जात पात की बांट की आज्ञा नहीं देता, इसलिए सरकारी कागजों में सिखों की कोई जाति न लिखी जाए।" 15.3.1927

गुरद्वारों में रहित–मर्यादा निश्चित करने के लिए कमेटी :

सर्वसंम्मति से पारित हुआ कि कई कारणों से सिख रहित मर्यादा संबंधी मत भेद पैदा हो गए हैं और होते जा रहे हैं, इसलिए नीचे अंकित विद्वानों की एक सब कमेटी बनाई जाए जो रहितनामों व अन्य गुरमति ग्रंथों तथा मुखियों की राय से गुरमति की रहु रीति यानी जीवन शैली का मसौदा तैयार करके जल्द ही शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी में विचार के लिए पेश करें :–

(1) प्रो० तेजा सिंघ जी, खालसा कालेज (2) प्रो० जोध सिंघ जी खालसा कालेज (3) ज्ञानी ठाकुर सिंघ जी, अमृतसर (4) ज्ञानी शेर सिंघ जी, (5) ज्ञानी सुंदर सिंघ जी, अमृतसर (8) संत संगत सिंघ जी कमालिया (9)भाई काहन सिंघ जी नाभा (10) संत गुलाब सिंघ जी घोलिया, मोगा। (11) भाई लाभ सिंघ जी ग्रंथी, श्री दरबार साहिब, अमृतसर। (12) भाई हजूरा सिंघ जी, हजूर साहिब, दखण (13) पंडित बसंत सिंघ जी पटियाला (14) भाई वीर सिंघ जी, अमृतसर (15) बाबू तेजा सिंघ जी, पंच खंड, भसौड़ (16) ज्ञानी हीरा सिंघ जी दर्द अमृतसर (17) भाई लाल सिंघ जी,ककार बहादुर, अमृतसर (18) बाबा हरिकिशन सिंघ जी, गुजरांवाला (19) भाई त्रिलोचन सिंघ जी, सुर सिंघ (20) ज्ञानी हमीर सिंघ जी, अमृतसर (21) पंडित करतार सिंघ जी, दाखा (22)–(24) बाकी तीनों तख्तों के जत्थेदार साहिबान (25) प्रो गंगा सिंघ जी, फिलासफर (26) भाई मैया सिंघ जी, लाहौर (27) संत मान सिंघ जी शास्त्री, कनखल (हरिद्वार) (28) भाई तेजा सिंघ, जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब। 15.3.1927

मासिक पत्र 'गुरद्वारा गज़ट' के प्रकाशन के बारे में गुरमता :

'शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का यह साधारण इजलास यह पारित करता है कि शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी, स्थानीय कमेटियों और गुरद्वारों संबंधी जरूरी व ठीक – ठाक हालात बताने के लिए एक मासिक पत्र प्रकाशित किया जाया करे और इस पत्र का नाम 'गुरद्वारा गज़ट' रखा जाए। इस पत्र के द्वारा सरकारी गजट की भांति गुरद्वारों संबंधी सूचना दी जाया करे। यह गुरद्वारा गजट चलाने के लिए चंदे आदि व अन्य कार्यप्रणाली के बारे में फैसला अंतरंग कमेटी करे।' 8.10.1927

शिरोमणी कमेटी व स्थानीय कमेटियों के मैंबरों के प्रण पत्र

(1) केशाधारियों के लिए : मैं दस गुरू साहिबान को अपना सतिगुरू और उनके स्वरूप श्री गुरू ग्रंथ साहिब जी को अपना इष्ट मानता हूं और किसी अन्य को अपना इष्ट नहीं समझता। मैं तंबाकू, कुटठा, परस्त्रीगमन से बचा हुआ हूं। नितनेम और गुरमर्यादा का पाबंद हूं। मैं पतित नहीं हूं। 28.10.1928

(2) कौमी झंडे के बारे में शिरोमणी अकाली दल का एलान

शिरोमणी अकाली दल यह बात फिर प्रकट कर देना चाहता है कि सर्व हिंद कौमी कांग्रेस ने अपने विचार के अनुसार अभी तक कौमी झंडे में खालसा का रंग शामिल नहीं किया। इस पर खालसा पंथ में बहुत रोश है। पर मुलक में आजादी की जंग जारी है और खालसा पंथ इस देशसेवा के मैदान में भी किसी अन्य कौम से पीछे नहीं रहना चाहता। इसलिए यह ऐलान किया जाता है कि सिख सज्जन जहां पर भी मुल्की सेवा का काम करें वह खालसाई झंडे के नीचे करें, और केवल कांग्रेस के झंडे के नीचे न करें।

धर्म प्रचार कमेटी की स्थापना :

"शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का यह जनरल इजलास अंतरिंग कमेटी को यह आज्ञा करता है कि अन्य जनरल मैंबरों व पंथक मुखियों की उचित सलाह ले कर, वे एक महीने के अंदर एक प्रभावकारी धर्म प्रचार कमेटी की स्थापना करे जो कि पूरे जोर से सिख धर्म का प्रचार करे।" 28.2.31

तस्वीरों वाले श्री गुरू ग्रंथ साहिब जी :

जनरल इजलास में यह प्रश्न उठाया गया कि भाई जवाहर सिंघ पुस्तकां वाले (बाजार माई सेवां, अमृतसर) ने श्री गुरू ग्रंथ साहिब जी की एक ऐसी बीड़ तैयार की है जिसमें गुरू साहिबान व भक्तों की

तस्वीरें लगाई गई हैं। पारित हुआ कि यह मामला श्री आकल तख्त साहिब जी के स्थान पर, पांच प्यारों के सपुर्द किया जाए। 1.3.1932

अकाल तख्त की जत्थेदारी के बारे में गुरमता :

"यह स्वीकार किया गया कि जब कभी भी श्री अकाल तख्त साहिब जी के जत्थेदार नियुक्त करने का प्रश्न हो तो आचरण और योग्यता को ध्यान में रखते हुए – यदि अच्छा काम करने वाला अवैतनिक सज्जन मिल सके तो बेहतर, अन्यथा वेतनधारी सेवक रख लिया जाया करे। योग्यता के साथ ही विशेष योग्यता यह भी हो कि वह हर पहलू से निष्पक्ष रहकर सेवा करने वाला हो।"

कम्युनल अवार्ड का विरोध :

शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का यह पहला इजलास इस बारे में फैसला करता है कि ऐसा कोई भी संविधान जो कि सांप्रदायिकता पर आधारित हो, सिख कौम स्वीकार नहीं करेगी और यह कमेटी इस बारे में दृढ़ निश्चित से दोहराती है कि सिंख पंथ किसी ऐसी राज्य प्रणाली के सम्मुख, जो सांप्रदायिकता पर आधारित होगी, सिर नहीं झुकाएगी। 17.6.33

कूका (नामधारी) समाज द्वारा छपे एक ट्रैक्ट को जप्त करने का प्रस्ताव :

"भाई गंगा सिंघ जी पहिरा गांव छजल वढी जिला अमृतसर, सेवक गुरद्वारा खालसर ने 'गुरू ग्रंथ साहिब पातशाही 10–11 कलधीधर का 'जहूर' नामक ट्रैक्ट में जो झूठी और आधारहीन तहिरीर शिमला प्रिंटिंग प्रैस, अमृतसर में छपवा कर आम सिखों में बांटी है, उस से सिखों के दिलों पर गहरी चोट लगी है और उस के कारण आम जनता में बेचैनी और घबराहट पैदा हो गई है। इसलिए शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का आज का जनरल इजलास सरकार पंजाब का ध्यान इस ट्रैक्ट की बेचैनी और घबराहट करने वाली तहिरीर की ओर आकर्षित करते हुए अनुरोध करता है कि जल्द से जल्द इस ट्रैक्ट को ज़प्त करने का ऐलान किया जाए और साथ ही भाई गंगा सिंघ व उस के साथियों को, जिन्होंने यह तहिरीर छपवा कर बांटने में सहायता की है, को उचित सजाएं दे जिसके कारण आम सिख जनता में बढ़ रही बेचैनी व घबराहट को दूर किया जाए। 17.6.33

डिक्टेटरशिप के विरूद्ध प्रस्ताव :

'शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की इस बैठक के विचार में किसी एक व्यक्ति को समूचे पंथ का डिक्टेटर मानना गुरमत के नियमों, पंथक रवायतों व पंचायती रिवाजों के खिलाफ है, और ऐसा करना जिस तरह कि कुछ एक सज्जन सरदार खड़क सिंघ जी के संबंध में डिक्टेटर होने का एलान कर रहे हैं, सिखी की शान के विरूद्ध है।' 10.3.1934

बंबई सरकार पर कृपाण की पाबंदी के बारे में रोष :

(क) शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का आज का जनरल इजलास श्रीमान मास्टर तारा सिंघ जी, बी.ए और अन्य सिखों की कृपाण संबंधी बबंई सूबे में हुई ग्रिफतारियों और सजाओं को सिख धर्म में सीधा दखल समझते हुए सरकार बंबई की इस कारवाई पर नाराजगी प्रकट करता है और सरकार हिंद से जोरदार मांग करता है कि आगे से हर एक स्थान पर कृपाण धारण करने के लिए हर एक सिख को पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए और कृपाण के अर्थ वही समझने चाहिए जो पंजाब की हाईकोर्ट ने किये है।

(ख) "श्रीमान मास्टर मोता सिंघ जी के लिए कैनेडा में से आई कृपाण जो बंबई सरकार द्वारा जप्त की गई है, आज के जनरल इजलास की राय में सरकार बंबई की यह कारवाई सिख धर्म में सीधा दखल है, इसलिए सरकार बंबई से मांग की जाती है कि कृपाण, मास्टर साहिब को वापिस की जाए और आगे से स्थानीय अधिकारियों को हिदायत दी जाए कि ऐसी कारवाइयां न की जाएं। "20.10.193 4

अफीम खाने व भांग पीने पर भूल की क्षमा :

सरदार सोहण सिंघ जी खडूर साहिब ने खड़े हो कर कहा कि मेरे से जुकाम लगने के कारण थोड़ी सी अफीम खाई गई थी और थोड़ी सी भंग भी पी गई थी, और चुंकि मैंने नशे न खाने पीने के बारे में प्रण पत्र भरा हुआ है इसलिए उचित आदेश दिए जाएं। जत्थेदार तेजा सिंघ जी ने कहा कि इन को पांच प्यारों के सम्मुख पेश किया जाना चाहिए । 3.3.193 5

श्री अकाल तख्त का सुधारक हुकमनामा:

सरबत्त खालसा और गुरद्वारों के सेवादारों के प्रति श्री अकाल तख्त साहिब का हुकम है, जो अमृतधारी प्राणी मात्र संगत पंगत में एक समान व्यवहार करे, पिछली जात पात नहीं पूछनी, भम्र नहीं करना, यही गुरू जी की आज्ञा है । जो सिर झुकाएगा गुरू जी उस की गति करेंगे। 13.6.193 6

फौजी सिखों के लिए लोहटोप पहनने के विरूद्ध प्रस्ताव :

हिंदूस्तानी फौजी के लिए प्रस्तावित स्टील हैमलेट जो अंग्रेजी टोपी जैसा है,सिख रहित मर्यादा व जज़्बात को नज़र अंदाज करता है। इसलिए इस के पहनने का विरोध किया जाता है। 3.4.1940

सिख महाराजाओं का अमृतधारी होना लाजमी करार दिया जाए :

पारित हुआ कि सारी सिख रियासतों के महाराजा अमृतधारी सिख होने चाहिएं और कोई पतित सिख रियासत की गद्दी पर नहीं होना चाहिए। इसलिए यह सम्मिलन पंथ के पास अपील करता है कि इस आवाज को जारी रखा जाए। साथ ही यह सम्मिलन अंतरिग कमेटी को इस सिलसिले में उचित कारवाई करने का अधिकार देता है। 3 0.11.1940

नामधारियों के पत्तरा पाठ के विरूद्ध प्रस्ताव :

शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के आज के समारोह की यह एकमत राय है कि श्री गुरू ग्रंथ साहिब जी का पाठ (फाड़ कर) एक – एक पन्ने से करना, पाठ की प्रचलित मर्यादाओं के विपरीत है और इस तरीके से पाठ करने से श्री गुरू ग्रंथ साहिब जी के पाठ का अनादर होता है । इसलिए इस रीति को बंद करने के लिए शिरोमणी कमेटी द्वारा जो कारवाई की गई है उस की यह इजलास पुष्टि करता है। 26.10.1941

पुलिस में सिखों की दस्तार का सम्मान रखने के बारे में प्रस्ताव :

शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का यह समारोह पुलिस विभाग के जिम्मेवार अधिकारियों का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करता है कि किसी सिख की दस्तार उतारना, जैसा कि पंजाब की हवालातों में किया जाता है, सिखों का धार्मिक अपमान है ओर इसलिए यह समारोह मांग करता है कि हवालातों में से यह तरीका बंद किया जाए।

पुलिस में सिखी रहित बारे प्रस्ताव:

फिर सर्वसम्मति से स्वीकार हुआ कि शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का यह जनरल इजलास

पंजाब सरकार से यह मांग करता है कि पुलिस विभाग में भर्ती हुए सिख नौजवानों को भी सिख रूल्स आफ कंडकट (सिखी रहित बहित) उसी प्रकार आब्जर्व करवाई जाए जिस प्रकार फौजी विभाग में भर्ती सिखों को करवाई जाती है। इस प्रकार वे अच्छे पुलिसमैन भी सिद्ध होंगे और सिख दृष्टिकोण से उन पर कोई धार्मिक आपत्ति भी नहीं की जाएगी।

बेमुखों को गुरू पंथ से दूर रखने का प्रस्ताव :

पारित हुआ कि सिख धर्म के अनुसार जो प्राणी श्री गुरू ग्रंथ साहिब को दसम पातिशाह श्री गुरू गोबिंद सिंघ जी के उपरांत गुरगद्दी पर बिराजमान जुगो जुग अटल गुरू नहीं मानता, और श्री गुरू नानक देव जी महाराज से ले कर दसम पातिशाह श्री गुरू गोबिंद सिंघ जी साहिब तक, दस गुरू साहिबान के तुल्य सम्मान किसी अन्य प्राणी को देता है या श्री गुरू ग्रंथ साहिब के अतिरिक्त किसी देहधारी को श्री गुरू गोबिंद सिंघ साहिब की गुरगद्दी पर बिराजमान समझता है, व जो प्राणी गुरबाणी पढ़ता है, या जो प्राणी अरदास में ३ श्री वाहिगुरू जी की फतेह के स्थान पर किसी देहधारी का नाम ले कर बाणी भंग करता है, या जो दस सतिगुरू जी के तुल्य समझ कर या कह कर किसी अन्य देहधारी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के नाम की अरदास करता है, और जो प्राणी खालसा की रहित में से पवित्र कृपाण को खारिज करने का ऐलान करता या खारिज समझता है, और अमृत की मर्यादा भंग करता है, वह प्राणी सिख नहीं है। वह खालसा के गुरद्वारों व तख्त साहिब की सेवादार शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी या किसी लोकल गुरद्वारा कमेटी का मैंबर नहीं होना चाहिए और न ही उस की किसी तख्त साहिब या गुरद्वारा साहिब में अरदास होनी चाहिए।' 7.3.1942

गुरबाणी के कीर्तन के समय बाहर की तर्जे अथवा धारणा लगाने की मनाही :

शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की आज की जनरल इजलास सारे पंजाब में आम करके, कवीशरों, गवैइयों, प्रचारकों द्वारा श्री गुरू ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी मनघड़ंत तुकों व अनुचित धारणा या तर्जो पर लगाने, और गुरबाणी व गुर इतिहास को गलत पेश करने पर हार्दिक रंज प्रकट करते हुए समूह संबंधित गुरद्वारा कमेटियों व अन्य सज्जनों का ध्यान इस ओर आकर्षित करती है कि वे भविष्य में किसी गुरद्वारे या धार्मिक दीवान में गुरबाणी के साथ बाहरी पंक्तियों को मिला कर न पढ़ने दें।' 6.11.1942

महाराजा पटियाला को सनातन धर्म सभा का पद छोड़ने के लिए जोर :

'यह इजलास महाराजा साहिब पटियाला से मांग करता है कि वे सिख है और उन का सनातन धर्म सभा पंजाब का प्रधान रहना नियमों के विरूद्ध है और सिखी के लिए सख्त हानिकारक है। कोई सिख सनातन धर्मी नहीं हो सकता। इसलिए वह कृपा करके पद से तुरंत अलग हो जाएं।

सत्यार्थ प्रकाश के कुछ हिस्से न छापने के बारे में प्रस्ताव :

शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की इस जनरल इजलास की राय में पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के अंतिम चार कांड सिख सतिगुरू साहिबान व अन्य मजहबों के ऊपर निहायत तीक्ष्ण, गलत, दिल दुखाने वाले व आधारहीन हमलों से भरपूर हैं। यह इजलास आर्य भाइयों की सेवा में विनती करता है कि वे इस मामले पर शांति से विचार करें और ये चार सम्मुलास आगे के लिए न छापें क्योंकि इन के कारण देश में सांप्रदायिक झगड़े बढ़े है और इन को रोकना देश की भारी सेवा है।

खंडे के अमृत के बारे में प्रस्ताव :

शिरोमणी कमेटी का यह इजलास पारित करता है कि मर्द या स्त्री के लिए खंडे का अमृत सांझा छकाया जाना चाहिए। भाव एक बाटे के स्त्री मर्द दोनों साझीवाल है। सिखों की किसी जमात को यह अधिकार नहीं कि मर्द को खंडे का व स्त्री को कृपाण का अमृत छकाया जाए। बल्कि इस प्रकार तो अमृत छकाने वाले को शिरोमणी कमेटी तनखहिया करार देती है और उसकी गुरद्वारों में से अरदास व मेल जोल बंद करती है। 9.4.1944

छः वर्षीय कार्यक्रम :

(1) **सिखी प्रचार व जनगणना :**

(क) सन् 1951 की जनगणना में सिख गणना को एक करोड़ ले जाने का प्रयास करे।

(ख) पांच लाख नवोदित सिखों को जपुजी साहिब व दस गुरू साहिबान के नाम याद करवाएं।

(ग) पांच लाख नए सिखों को अमृतपान करवाए।

(ग) कम से कम पांच लाख सिखों को शराब छुड़वाएं।

(घ) पांच लाख नये व्यक्तियों को केश धारण करवाना।

(ड.) सिग्रेट, तंबाकू, नसवार के विरूद्ध जोरदार प्रचार करना ।

(च) सिखों में झटके मास को सस्ता करने के प्रयत्न करना और कुट्ठे के प्रयोग को बंद करवाना।

(छ) गांवों के गुरद्वारों में कथा के पुरातन रिवाज को कायम करना।

(ज) अमृतसर शहर में ब्राडकास्टिंग स्टेशन कायम करना ।

(झ) अच्छे प्रचारक व ग्रंथी बनाने के लिए प्रशिक्षण का सिलसिला कायम करना और नए रागी ढाडी पैदा करना।

(ञ) पिछड़ी श्रेणियों को ऊपर उठाने का प्रयत्न करना।

(त) अवैतनिक प्रचारकों का सिलसिला जारी करना।

(2) **गुरबाणी व गुरमति साहित्य :**

(क) गुरबाणी की शुद्ध और सस्ती छपाई के लिए छापाखाना लगवाना।

(ख) गुरमति संबंधी पुस्तकें छपवाना खास करके छूत छात, जात पात, क्षेत्रवाद और नास्तिकता आदि गुरमति विरोधी विचारों के प्रचार के प्रभाव को दूर करने और सिख साहित्य के प्रचार के लिए साहित्य की रचना के लिए साधन जुटाना।

(3) **सिख इतिहास :**

(क) सिख इतिहास की खोज के लिए बड़े पैमाने पर संदर्भ लायब्रेरी स्थापित करना।

(ख) सिख इतिहास की खोज का उचित प्रबंध करना ओर इस सिलसिले में नई पुस्तकें प्रकाशित करने का प्रबंध करना।

(4) विद्या :

(क) गुरमुखी की पढ़ाई खास करके प्रौढ़ शिक्षा के लिए प्रयासों में प्रसार।

(ख) सिख यूनीवर्सिटी की स्थापना, जिस के अधीन मैडीकल, एजूकेशनल, इलैक्ट्रीशियन, इंजीनीयरिंग, कैमिस्टरी, मैडीकल साइंस आदि कालेजों का खोला जाना।

(ग) सिख स्कूलों कालेजों में सिख इतिहास, धर्म विद्या व पंजाबी की पढ़ाई पर बल दे कर लागू करवाना।

(घ) गांवों में लायब्रेरियां खोलना आदि।

(5) उद्योग और बैंक आदि

(6) खेती बाड़ी

(7) खेल इत्यादि

(8) सिख अधिकारों की रक्षा करना। 10.3.1945

गुरबाणी कानून की आवश्यकता:

मुसलमानों ने कुरान शरीफ के बारे में पंजाब असेंबली में बिल पेश किया है कि कुरान शरीफ को कोई गैर-मुसलमान न प्रकाशित कर सके और न ही बेच सके। मुसलमान, व्यापार में दूसरों से प्रतिस्पर्द्धा नहीं कर सके और इसका सामना करने के लिए मुकदस होने के जज्बे से काम लिया गया है। सिखों में इस प्रकार का तो कोई विचार नही, पर मैं समझता हूं कि श्री गुरू ग्रंथ साहिब की शुद्ध छपाई व सम्मान का पूरा-पूरा ख्याल नहीं रखा जाता है। हम चाहते हैं कि यह काम शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के सपुर्द किया जाए इसलिए नहीं कि हम में से कोई लाभ कमाना चाहते है बल्कि इसलिए कि पहले ही अनुचित लाभ कमाया जा रहा है। शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी अपने प्रबंध में छपाई आदि बहुत सावधानी से करवा कर लागत मूल्य पर संगत को प्रदान करेगी। 10.3.45

रागमाला का प्रश्न व उसके बारे में प्रस्ताव :

सरदार अमर सिंघ जी (शेरे पंजाब) द्वारा रागमाला के बारे में यह प्रस्ताव पेश किया गया, जिस के संबंध में प्रधान साहिब ने बताया कि सन् 1936 ई० में धार्मिक सलाहकार कमेटी ने फैसला किया था कि श्री गुरू ग्रंथ साहिब जी के पाठ का भोग 'मुंदावणी पर डाला' जाए पर श्री गुरू ग्रंथ साहिब जी में से रागमाला को निकालने का दुस्साहस कोई न करे। इस फैसले पर किसी जगह पर अमल हुआ और कही पर नहीं। श्री अकाल तख्त साहिब, श्री ननकाणा साहिब और श्री पंजा साहिब में तब से ही भोग 'मुंदावणी पर डाला' जाता है जब से यह पवित्र स्थान फिर से पंथक प्रबंध में आए हैं। धार्मिक सलाहकार कमेटी के एक मैंबर साहिबान द्वारा यह मामला दुबारा विचार हेतु पेश होने पर एक सब-कमेटी पुरातन पवित्र बीड़ों के दर्शन करके, रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त की गई है। जब तक कोई फैसला नहीं होता, राग माला संबंधी यथास्थिति कायम होगी। 26.10.1945

सिख स्टेट की स्थापना हेतु प्रस्ताव - 9 मार्च, 1946 :

"देश की वर्तमान राजनीतिक दशा, व कौमों की दिमागी दशा तथा उससे उत्पन्न होने वाले नतीजों और सिखों पर जो उनका खतरनाक असर होने की सम्भावना है, उसको ध्यान में रख कर तथा देश में जो क्रांतिकारी परिवर्तन होने वाले हैं, उनमें सिख अस्तित्व की स्थापना की जरूरत को अनुभव करके :

(क) शिरोमणी कमेटी ऐलान करती है कि सिख स्वयं में एक अलग कौम हैं, अतः उन का अपना एक देश होना चाहिए।

(ख) इस इजलास की राय है कि सिखों के प्रमुख धर्म स्थानों, जीवन शैली, सिख रिवाजों को कायम रखने, स्वाभिमान और आजादी की रक्षा तथा भविष्य में सिखों की तरक्की के लिए सिख स्टेट जरूरी है। इसलिए यह इजलास सिख संगतों से अपील करता है कि वह इस की प्राप्ति कि लिए बढ़-चढ़ कर प्रयास करें।

सरदार अमर सिंघ जी 'दुसांझ' ने प्रस्ताव की ताईद करते हुए कहा कि मौजूदा हालात में सिख धर्म की रक्षा और इसके विस्तार के लिए जरूरी हो गया है कि सिखों के लिए पृथक स्टेट कायम की जाए। सिख बजा तौर पर एक अलग कौम है और जो गुण एक कौम में होने चाहिएं, वह सारे हमारे में मौजूद हैं। हमें धोखा देने के लिए यह आवाज़ उठाई जाती है कि सिख एक बड़े 'हिन्दु वृक्ष' की शाखा हैं। मैं कहता हूं, यह आवाज़ केवल हमको हड़प करने के लिए उठाई जाती है । हम किसी दूसरी कौम के गुलाम होकर के कदापि प्रफुल्लित नहीं हो सकते। हमारी कम गिनती, हमारी स्टेट कायम करने के रास्ते मे रूकावट नहीं हो सकती। बतौर कौम के हमें बहुसंख्या गिनती वाली कौमों के बराबर हिस्सा मिलना चाहिए।" 9.3.1946

गुरबाणी की छपाई और प्रैस :

गुरबाणी की शुद्ध छपाई व गुरमति साहित्य छपवाने के लिए शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा प्रैस लगाए जाने की मांग काफी समय से की जा रही थी। अतः वर्तमान कमेटी ने पंथ की इस अत्यावश्यक मांग को पूरा करने के लिए प्रैस लगाने का फैसला किया है, जिस के लिए एक छोटी मशीन खरीदी जा चुकी है और एक बड़ी मशीन और खरीद कर प्रैस बहुत जल्द शुरू कर दी जाएगी।

धार्मिक व राजनीतिक मतभेदों से दूर रहने के बारे में प्रस्तावः

शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की आज की बैठक संपूर्ण सिख जत्थेबंदियों और सिख संगत को प्रेरित करती है कि सिखी प्रचार और गुरद्वारे के सम्मान को दृष्टि में रख कर, गुरद्वारों के जोड़ मेलों, सम्मिलनों और दीवानों के अवसर पर केवल सिखी प्रचार ही किया जाए। पार्टीबाजी और राजनीतिक मतभेदों के झगड़े न किये जाएं क्योंकि यह गुरमति प्रचार के लिए भारी अवरोध सिद्ध होते है। 4.8.1951

श्री दरबार साहिब की सीमा में पुलिस कार्रवाई व उसके विरोध में प्रस्ताव :

शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की आज की महा सभा के सत्र ने श्री दरबार साहिब अमृतसर की सीमा के अंदर दिनांक 4.7.55 को हुई पुलिस कार्रवाई व उसके बाद के हालात पर दीर्घ विचार की है। विचारोपरांत इस बैठक की यह पक्की राय है कि उपरोक्त पुलिस कार्रवाई बिल्कुल अनावश्यक व घोर आपत्तिजनक थी और यह श्री दरबार साहिब, अमृतसर व शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रबंध में रुकावट पैदा करने की नीयत से की गई थी। सरकार ने यह अनुचित व गैर कानूनी दखल दे कर श्री दरबार साहिब, अमृतसर व गुरद्वारा मंजी साहिब की पवित्रता को भंग करके सिखों की धार्मिक भावनाओं पर कुठाराघात और वज्र प्रहार किया है।

इसलिए यह सत्र उक्त अनुचित, अनावश्यक व धार्मिक स्थानों की पवित्रता को भंग करने वाली कार्रवाई के विरुद्ध जोरदार रोष प्रकट करती है और सरकार से मांग करती है कि दुर्घटना

संबंधी निष्पक्ष जांच कमीशन नियुक्त कर के पड़ताल करवाई जाए और दुर्घटना करने वाले जिम्मेवार आदमियों को उचित सजाएं दी जाएं।" 16.10.1955

बी.टी. के कातिलों को सम्मान का प्रस्ताव :

(1) शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का यह सत्र बाबा करतार सिंघ छीनेवाल व बाबा भोला सिंघ लोहा जिला संगरूर की उस सेवा की प्रशंसा करता है जो उन्होंने अकाली लहर के समय गुरू के बाग के मोर्चे पर अत्याचारी मिस्टर बीटी के कत्ल के दोष में उम्र कैद काट कर की, और उस कैद में से वे अभी रिहा हो कर आए हैं।

(2) शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी इन देश भक्तों को खुली सहायता दे ताकि ये अपना बाकी का जीवन सुख से व्यतीती कर सकें।

तख्त दमदमा साहिब तलवंडी साबो की स्वीकृति के बारे प्रस्ताव :

शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की आज का महा सभा का सत्र यह प्रस्ताव पास करता है कि श्री दमदमा साहिब गुरु की कांशी को, इतिहासिक मोहरों रियासत पटियाला के गजटों के द्वारा और अन्य अभिलेखों के अनुसार तख्त करार देता है। इस बारे में गुरद्वारा एक्ट में आवश्यक संशोधन करवाने के लिए दफ्तर को अधिकार देता है।

इस बारे में काफी बहस होने के बाद सरदार करतार सिंघ दीवान द्वारा प्रस्तावित होने पर संपूर्ण रिपोर्ट देने के लिए नीचे लिखे सज्जनों की एक सब कमेटी बनाई गई :

(1) ज्ञानी निरंजन सिंघ जी, पटियाला (2) ज्ञानी चंनण सिंघ जी, मस्तूआणा। (3) डाक्टर गंडा सिंघ जी, पटियाला। (4) संत गुरबचन सिंघ जी, भिंडरा वाले। (5) प्रो० साहिब सिंघ जी (6) ज्ञानी भूपिंदर सिंघ जी। (7) जत्थेदार अच्छर सिंघ जी (8) एक प्रतिनिधि बुढा दल का (9) एक प्रतिनिधि निर्मले सिखों का (10) एक प्रतिनिधि चीफ खालसा दीवान का (11) एक प्रतिनिधि पंच खालसा दीवान का (12) ज्ञानी गुरदित्त सिंघ जी एडीटर प्रकाश पटियाला (13) प्रिंसीपल जोध सिंघ जी, माडल टाऊन लुधियाना (14) सरदार कपूर सिंघ जी, आई.सी.एस. (15) प्रो० सतिबीर सिंघ जी (16) ज्ञानी लाल सिंघ जी संगरुर 27.11.1959.

तंबाकू व धूम्रपान निषेध का प्रस्ताव:

कमेटी इस वास्तविकता से भलीभांति अवगत है कि संसार के प्रसिद्ध डाक्टरों ने तंबाकू व धूम्रपान को मनूष्य के स्वास्थ्य के लिए जहरीला, कातिल होने के तुल्य फतवा दिया है। परंतु कितने दुःख की बात है कि आजाद भारत की सरकार ने अब तक जनता में धूम्रपान की बढ़ चुकी सामान्य बीमारी की भारी रोकथाम करने में अपराधिक आदत अनदेखी कर रखी है।

इसलिए यह सत्र, भारत सरकार का आम करके व पंजाब सरकार का, खास करके विशेष तौर पर ध्यान इस बीमारी पर नियंत्रण पाने तथा धुम्रपान की आदत को सख्ती से बंद करने के लिए दिलाती है। 9.3.1964

पंजाबी सूबे का प्रस्ताव:

शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का यह महा अधिवेशन इस बात पर दुःख प्रकट करता है कि समय की सरकार द्वारा देश में जहां अन्य सूबे, बोली के आधार पर स्थापित किये जा चुके हैं, वहीं पंजाबी

बोली का सूबा बनाने की मांग को न जाने किस कारण पंजाबी बोली और पंजाबी बोलने वाले लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। इसलिए यह महा अधिवेशन भारत सरकार से जोरदार मांग करता है कि केवल बोली के आधार पर शीघ्र ही पंजाबी सूबा कायम करके इस भेदभाव को दूर किया जाए।28.3.1965

सिखों को श्री के स्थान पर सरदार संबोधित करने की पुष्टि :

शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का आज का यह महा अधिवेशन इस बात को बहुत घृणा से देखता है कि सांप्रदायिक ज़हनियत व सांप्रदायिक रुचियों के आधार पर सिखों के कौमी विकार के चोट पहुंचाने के कई पहलुओं से प्रयत्न किये जा रहे हैं। सिख के नाम के साथ सरदार के स्थान पर श्री का शब्द लगा कर लिखना या पुकारना ऐसे हमले की ही एक कड़ी है। अतः यह अधिवेशन सरकार गैर सिख सांप्रदाओं व देश के पत्रकारों पर बल देता है कि हर एक सिख के नाम के साथ सरदार शब्द का ही प्रयोग किया जाए।

पंजाबी भाषा को न्यायालय की भाषा बनाने का प्रस्ताव:

शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का यह महा अधिवेशन इस बात पर शोक प्रकट करता है कि पंजाबी बोली को इस का उचित स्थान देने की जगह पर दिनों दिन इस को और पिछड़ा बनाया जा रहा है तथा इस के साथ सौतेली मां का जैसा व्यवहार किया जा रहा है। जिला स्तर तक क्योंकि पंजाबी को लागू करने के फैसले हुए हैं, पर उन पर किसी स्थान पर भी गंभीरता से अमल नहीं किया गया और जहां पर ऐसा अमल हुआ भी था, वह अब दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और अब जिला स्तर के कार्यालायों व अदालती कामों को पंजाबी के स्थान पर अन्य भाषाओं का प्रयोग करना शुरू कर दिया है।

यह अधिवेशन पंजाब और भारत सरकार पर बल देता है कि प्रान्त की पंजाबी बोली (गुरमुखी लिपि) का राज्य स्तर तक प्रयोग करते हुए निर्णयों संबंधी किये गये बचनों को पूरा किया जाए और पंजाबी बोली के साथ हो रहे अन्याय को भी दूर किया जाए।

भारतीय सेनाओं में सिखी रहित मर्यादा कायम रखवाने का प्रस्ताव :

शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का यह महा – अधिवेशन भारत की सेनाओं में भर्ती हो कर देश की रक्षा व शान को ऊँचा करने के लिए कुर्बानियां करने और पंथ का नाम रोशन करने वाले बहादुर सिख नौजवानें की उपलब्धियों व संघर्षो पर गर्व करता है और उनको प्रेरित करता है कि वे सिख रहन सहन में पक्के व पूर्ण गुरसिखों के गुणों के धारणकर्ता रहे ताकि देश और कौम की सच्चे उत्साह से सेवा कर सके:

यह अधिवेशन भारत सरकार को भी चेतावनी देता है कि सिखों की सैनिक महानता उनकी पुरानी रवायतों, सिखी जीवन व सिखी रहित मर्यादा पर निर्भर है जिन को कामय रखना उसके अंदर सच्ची देशभक्ति व सेवा की भावना पैदा करने के लिए अत्यंत जरूरी है। इसलिए यह अधिवेशन भारत सरकार से जोरदार मांग करता है कि जिस प्रकार देश की आजादी से पूर्व अंग्रेज के समय व सैकुलर राज्य के संस्थापक शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंघ जी के समय पर सेना में भर्ती हुए प्रत्येक केशाधारी सिख के लिए केश दाढ़ी रखना आवश्यक और सिख रहित मर्यादा में परिपक्व होना जरूरी था, उसी प्रकार अब भी भर्ती हुए सिख आफिसर और सिपाही के लिए सिखी रहित मर्यादा की पाबंदी लाजमी की जाए और जिस किसी ने कहीं ढील की हो, वह ढील दूर करवाई जाए। 28. 1965

बावन दुआदशी के मेले के समय सिखों को दीवान करने में रुकावटें:

"शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का आज का महा – अधिवेशन अंबाला शहर में बावन दुआदशी के मेले के अवसर पर गुरद्वारा सिंघ सभा अनाज मंडी में सिखों द्वारा किये जा रहे धार्मिक दीवान पर पंजाब सरकार द्वारा लगाई गई पाबंदी पर बहुत दुःख व अफसोस प्रकट करता है। यह धार्मिक दीवान लगातार कई वर्षों से बावन दुआदशी के समय लगता आ रहा है और इस संबंध में लंबे समय से शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा सरकार के साथ पत्र व्यवहार हो रहा है, परंतु सरकार अपनी जिद पर कायम है और सिखों द्वारा हर साल किये जा रहे धार्मिक दीवान पर पाबंदी लगा देती है और हिंदू सांप्रदायिक पुलिस की सहायता से जलसा करने की शह दे कर, भारत के विधान का सीधा उल्लंघन करती है। सरकार की इस एकपक्षीय नीति का, शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का यह महा – अधिवेशन जोरदार खंडन करता है।

शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का महा – अधिवेशन सर्व सम्मति से स्वीकार करता है कि जब सिखों के धार्मिक स्थानों – तख्त श्री केसगढ़ साहिब, गुरद्वारा श्री बाबा बकाला, श्री दरबार साहिब अमृतसर, मुक्तसर साहिब आदि के जोड़ मेलों के समय प्रत्येक पार्टी को दीवान व जलसे करने की छूट देती है, तो बावन दुआदशी के इस मेले पर सिखों के धार्मिक दीवान पर प्रतिबंध लगाना बिल्कुल अनुचित है। इसलिए यह महा – अधिवेशन सरकार से जोरदार मांग करता है कि सरकार इन पर लगी पाबंदियों को तुरंत ही वापिस ले।" 18.4.1966

गुरद्वारा दमदमा साहिब को तख्त करार देने के बारे में:

इस के पश्चात गुरद्वारा दमदमा साहिब तलवंडी साबो (बठिंडा)को गुरू खालसा का पांचवां तख्त करार देने के बारे में प्रस्ताव पास किया गया और उस प्रस्ताव के साथ ही गुरद्वारा एक्ट में तख्त दमदमा साहिब के जत्थेदार को शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का मैंबर मनोनीत किये जाने के बारे में सिफारिश की गई, ताकि भविष्य में कोई कानूनी अड़चन पेश न आए। 18.11.1966

श्री गुरू ग्रंथ साहिब के रुमालों पर तस्वीरें न छपने देने का प्रस्ताव:

श्री गुरू साहिब साहिबाण की कल्पित तस्वीरें छापकर गुरु घर का अनादर किया जा रहा है। उसको रोकने के लिए प्रस्ताव पास हुआ कि दुकानदारों को ऐसा काम करने से रोका जाए और भविष्य में श्री गुरू ग्रंथ साहिब पर तस्वीरें कतई न छापी जाएं और सरकार पर भी इस बारे में कानून बनाने पर बल दिया गया।

डाक टिकटों पर गुरू साहिबान की तस्वीरें न छापने के बारे में प्रस्ताव:

शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के ध्यान में लाया गया है कि श्री गुरू गोबिंद सिंघ जी महाराज के 300वें प्रकाश दिवस पर, सरकार उनके सम्मान में गुरू महाराज की तस्वीरों वाली डाक टिकट जारी कर रही है। शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है कि इस प्रकार गुरू साहिब की तस्वीर छापना उचित नहीं है। आज का महा अधिवेशन सरकार से मांग करता है कि गुरू महाराज की याद में जारी की जाने वाली टिकटों व गुरू महाराज की तस्वीर न छापी जाएं और उनके जन्म स्थान श्री पटना साहिब की तस्वीर छाप दी जाये 18.11.1966

पंजाबी बोली की भारतीय सूबों में दूसरी राजभाषा का दर्जा देने के बारे में प्रस्ताव:

शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का आज का महा अधिवेशन अनुभव करता है कि देश के विभाजन के बाद पंजाबियों व खास करके सिखों की भारी संख्या हरियाण, दिल्ली, चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, राजस्थान के जिला गंगा नगर व यू पी. के क्षेत्र में आबाद हो गई है और समूह पंजाबियों ने इन प्रांतों की उन्नति के लिए बढ़चढ़ कर हिसा डाला है। परंतु दुःख की बात है कि इन राज्य सरकारों द्वारा पंजाबी भाषा, साहित्य और संस्कृति को मान्यता देने हेतु कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई जिस के कारण पंजाबी परिवारों व बच्चों को शैक्षणिक क्षेत्र में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और वे अपने संस्कृति के स्रोत से टूट रहे हैं। यह अधिवेशन सरकारों के पास जोरदार अपील करता है कि वे अपने राज्य में पंजाबी बोली को गुरमुखी लिपि में स्वीकार करें जो वहां पर बसने वाले पंजाबी बच्चे स्कूलों कालेजों में स्वै-इच्छा के अनुसार अपनी मातृभाषा में विद्या प्राप्त कर सकें।

श्री अबिचल नगर हजूर साहिब (नांदेड़-दक्षिण) की सिखी मर्यादा कायम रखने के बारे में:

"शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का यह अधिवेशन अनुभव करता है कि नांदेड़ सिख गुरद्वारा सचखंड श्री हजूर अबचल नगर साहिब का एक्ट 1956 जिसके द्वारा श्री हजूर साहिब और अन्य संबंधित गुरद्वारों का प्रबंधक बोर्ड स्थापित किया गया है,में कुछ ऐसी त्रुटियां हैं जो सिख मर्यादा के पूर्णतः अनुकूल नहीं हैं। इस बोर्ड के संगठन में मैंबरों का मनोनीत करना, सिखी भावना व स्प्रिट के अनुकूल नहीं जैसा कि पंजाब के गुरद्वारा एक्ट में अंकित है, इसलिए यह अधिवेशन मांग करता है कि:

(1) इस एक्ट के अनुसार नामजद और अन्य मैंबरों के लिए अमृतधारी होना जरूरी हो और शराब पीना स्पष्ट अक्षरों में विवर्जित हो।

(2) इस बोर्ड में पार्लियामेंट के दो सिख मैंबरों के नामांकन की बजाए, नामांकन का अधिकार भी शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी को दिया जाए क्योंकि पार्लियामेंट के दो सिख विशुद्ध सिख वोटरों के प्रतिनिधि नहीं।

यह अधिवेशन प्रधान साहिब शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी को अधिकार देता है कि वे शीघ्र ही इस एक्ट में आवश्यक संशोधन करवाने हेतु महाराष्ट्र सरकार से बातचीत आरंभ करें।"

ब्रिटेन सरकार द्वारा सिखों की दस्तार पर लगाई हुई पाबंदी के बारे में प्रस्ताव:

ब्रिटेन की एक ट्रांस्पोर्ट कंपनी द्वारा सिखों की दस्तार पर लगी हुई पाबंदी अफसोसनाक है। शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का यह महा अधिवेशन इस पर जोरदार रोष प्रकट करता है । अंग्रेज सिखों की धार्मिक मर्यादा से अनजान नहीं है और वे जानते है कि दस्तार सिखों का धार्मिक चिन्ह है और इस पर पाबंदी उनके लिए असहय है। दुःख की बात है कि यह सब कुछ जानते हुए उसने यह पांबदी लगाई है। शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का महा अधिवेशन भारत सरकार का ध्यान इस ओर दिलवाते हुए मांग करता है कि वह ब्रिटेन सरकार के साथ सरकारी स्तर पर बातचीत करके इस पाबंदी को रुकवाए।   23.3.1969

भारवड़ा डैम, चंडीगढ़ व पंजाबी बोलने वाले क्षेत्र वापिस लेने के बारे में प्रस्ताव :

"शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का आज का यह महाअधिवेशन मांग करता है कि केंद्रीय सरकार, चंडीगढ़, भारवड़ा डैम, ब्यास डैम व पंजाबी भाषी क्षेत्र पंजाब को वापिस करने में कोई

टाल–मटोल न करे। यह डैम व इलाका पंजाब के है और इनका और अधिक समय तक बाहर रखना असहनीय है। यह शहर, डैम व पंजाबी भाषी इलाके शीघ्र ही पंजाब के हवाले किये जाएं।"23.3.1969

पंजाब से बाहर रहने वाले सिखों पर हो रही ज़्यादतियों को दूर करने के लिए प्रस्तावः

"शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का आज का यह महाअधिवेशन दिल्ली, जम्मू, कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र आदि राज्यों में रहने वाले सिखों के साथ अलग–अलग तरीके से हो रही ज्यादतियों पर गहरी चिंता प्रकट करता है और इन राज्यों व केन्द्र सरकार से मांग करता है कि वह इन ज्यादतियों को रोक कर सिखों के जान–माल की रक्षा करे । इन ज्यादतियों के परिणाम देश के भविष्य पर बहुत बुरा असर डाल कर उसको धुंधला कर सकते हैं। 23.3.1969

गुरद्वारों की जमीनों को मुज़ारा एक्ट से बाहर रखने के बारे में प्रस्ताव :

"शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का यह महाअधिवेशन केंद्र व स्थानीय सरकार से मांग करता है कि वह देश भर में सारे धार्मिक स्थानों के साथ संबद्धित जमीनों को मुजारा एक्ट से बाहर रखे क्योंकि धार्मिक स्थानों की आय जनकल्याण के लिए व्यय की जाती है।"23.3.69

सिखी को पतितपन से बचाने के लिए प्रस्ताव :

"शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का यह महाअधिवेशन बहुत दुःख से इस बात को रिकार्ड करवाता है कि सिखों में सिखी श्रद्धा व, रहन–सहन व मर्यादा का दिन प्रति दिन हास्य हो रहा है जिसे धर्म प्रचार की स्वस्थ व सृजनशील योजनाओं द्वारा रोका जा सकता है और इस संबंध में शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी, सिख संस्थाएं और पंथ दर्दियों को अधिक प्रयास करने की जरूरत है। खास तौर पर शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी को सारे पंथक हितैशियों के सहयोग से सिख संगत में सिखी श्रद्धा उजागर करने के लिए विशेष प्रबंध करने चाहिएं।

इस संबंध में यह अधिवेशन पंजाब सरकार से मांग करता है कि वह (1) स्कूलों व कालेजों में धार्मिक विद्या का विशेष व स्थई प्रबंध करे। (2) सरकारी मुलाजमों में बढ़ रहे पतितपन को रोकने के लिए उचित व ठोस प्रयत्न करें।"

सरकार द्वारा सिखों पर हो रहे अन्याय को दूर करने के लिए प्रस्ताव :

शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का यह महा अधिवेशन अत्यंत दुःख से यह रिकार्ड करता है कि इस देश की कांग्रेस सरकार लोक सभा के चुनावों के पश्चात बदले की भावना के अधीन सिखों के साथ दूसरे दर्जे के नागरिकों जैसा व्यवहार कर रही है और यह बात निम्नलिखित कुछ घटनाओं से बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है:

(1) पंजाब सरकार, जो पंजाबियों की आशाओं और अरमानों का सही प्रतिनिधित्व करती थी, को एक सोची समझी साजिश के अधीन तोड़ा गया।

(2) भ्रष्टाचार की पड़ताल के लिए ऐसा कमीशन बनना चाहिए था जिसके घेरे में 1947 से ले कर अब तक के सारे ही भ्रष्टाचारों के दोषों संबंधी जांच की जाती परंतु कांग्रेसी व कम्युनिस्ट, पूर्व मंत्रियों के विरूद्ध प्रमाण मिलने के बावजूद भी उन को जांच के घेरे में शामिल करने से इनकार किया जा रहा है।

(3) सिख अधिकारयों पर अत्याचार हो रहा है और उन को हर उचित अनुचित ढंग से परेशान किया जा रहा है।

(4) दिल्ली के गुरद्वारों पर केंद्रीय सरकार ने छाती ठोक कर जबर्दस्ती कब्जा किया है और 7 हज़ार सिखों के जेल और तीन सिखों के शहीद होने पर भी सरकारी कब्जा खत्म नहीं किया गया।

(5) पंजाब से बाहर हरियाणा, उत्तर प्रदेश व राजस्थान आदि सूबों में सिखों के गुरद्वारों पर कब्जे किये जा रहे हैं और सिखों को अत्याचारों का निशाना बनाया जा रहा है।

(6) प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने लुधियाना के अपने भाषण में जंगे आज़ादी के समय सिखों को अंग्रेजों के साथ मिले हुए बता कर, सिख कौम की तौहीन की है। वास्तव में सिखों ने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी संख्या से कई गुना अधिक बढ़ कर कुर्बानी की है।

(7) भारत की कांग्रेस सरकार ने पंजाबी सूबे को समाप्त करने के लिए साजिश शुरू कर दी है।

ये कुछेक बातें मुंह बोल कर बताती हैं कि न केवल सिखों को बर्बाद करने की राह कांग्रेसी सरकार ने पकड़ी हुई है, बल्कि हिंदू सिख एकता का वातावरण समाप्त करके, यह हिंदू सिखों में जान बूझ कर फूट डालने व संबंध खराब करने के नापाक मनसूबे रच रही है।

शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का यह महा अधिवेशन महसूस करता है कि भारत सरकार का यह व्यवहार सिख धर्म, सिख सभ्यता, सिख स्वाभिमान और इज्जत,सिख एकता व पंजाबी भाषा के लिए हानिकारक व घातक है। अतः यह अधिवेशन सभी सिखों को सावधान करते हुए अपील करता है कि वे इस अत्याचार व अन्याय के विरूद्ध पंथक एकता करके संग्राम करें।

शिरोमणी गुरद्वारा कमेटी का यह महा अधिवेशन देश भर की सारी गैर कांग्रसी पार्टियों व सारे धर्मों के मुखियों को विनती करता है कि वे कांग्रेस की इस घिनौनी सांप्रदायितकता से सिखों को बचाने के लिए पूर्ण सहयोग दें।"

शराब व सिग्रेटों की दुकानें, अमृतसर शहर से बाहर करवाने के बारे में प्रस्ताव :

शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का आज का यह महाअधिवेशन स्वीकार करता है कि जैसे कुरूक्षेत्र आदि शहरों की पवित्रता को दृष्टि में रख कर, सरकार द्वारा श्राद्ध के दिनों में शराब के ठेके शहर से बाहर खोलने की आज्ञा दी गई है, इसी प्रकार श्री अमृतसर शहर, जो सिखी का केंद्र व महान् धार्मिक स्थान है, और जिस को श्री गुरू रामदास जी महाराज ने बसाया हुआ है, की पवित्रता को दृष्टि में रख कर, शराब के ठेके और सिग्रेटों की दुकानें शहर की सीमा से बाहर रखने के लिए पंजाब सरकार को जोरदार प्रेरणा की जाए।"

सहिजधारी व केशाधारी सिखों के बारे में नया दृष्टिकोण – एक जरूरी प्रस्ताव :

वर्ष 1925 में सिख गुरद्वारा एक्ट बनते समय समुचे पंजाब के कुछ जिलों में सहजधारी सिख होते थे जो सिख गुरद्वारा एक्ट की परिभाषा पर पूरे उतरते थे। परंतु बटवारे के उपरांत गिनती के कुछेक सहजधारियों के अतिरिक्त यह सांप्रदाय व्यवहारिक तौर पर खत्म हो चुका है। इन सहजधारियों में से कुछ तो सिख बन गए हैं और कुछ हिंदू सभ्यता का ही अंग बन गए हैं। पर गुरद्वारा चुनावों के लिए नई बन रही वोटर लिस्टों में देखा गया है कि बहुत से गैर सिखों को सहजधारी नाम के नीचे गलत तौर पर गुरद्वारा चुनावों के लिए वोटर बनाया जा रहा है। इसलिए शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का यह महाअधिवेशन स्वीकार करता है कि सिख गुरद्वारा एक्ट में इस प्रकार के पविर्तन सरकार से करवाए जायं जिस से केवल केशाधारी सिख ही शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी व स्थानीय गुरद्वारा कमेटी के वोटर बन सकें।

यह भी देखने में आया है कि कई केश दाढ़ी काटने वाले पतित व नाममात्र के सिख भी गुरद्वारों के वोटर बन जाते है। जिस की रोकथाम करना जरूरी है। इसलिए सिख गुरद्वारा एकट में यह संशोधन करवाया जाए कि चुनाव के समय पीठासीन अधिकारी को अधिकार हो कि वह किसी ऐसे पतित को, जिसने केशों का अनादर कर रखा हो, को वोट डालने की आज्ञा न दे और ऐसे वोट डालने वाले व्यक्ति को वही सजा दी जाए जो किसी जाली वोटर को दी जाती है। ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है कि वोटर बनते समय ऐसी जांच का कोई साधन नहीं और कई वोटर बनने के पश्चात भी यह कुरैहित कर सकते है।

यह सम्मिलन पंजाब सरकार से मांग करता है कि इन संशोधनों को जल्दी से जल्दी विधान सभा में पारित करवा कर कानून की शक्ल दी जाए और आने वाली चुनावों में इनका प्रयोग हो।"
31.3.1973

अमृतसर रोडवेज़ के अड्डों पर सिग्रेटों के इश्तिहारों पर पाबंदी के बारे में प्रस्ताव :

"शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का आज का महाअधिवेशन बहुत दुःख से महसूस करता है कि अमृतसर रोडवेज के सरकारी अड्डों और बसों पर ऐस बोर्ड लगाए गए हैं जिन में बीड़ियां सिग्रेट पीने की प्रेरण की गई है। इस प्रकार की इश्तिहारबाजी सिखों के दिलों को दुःखी करती है और सिख धर्म का अपमान करती है। सिखों में तंबाकू सेवन उसी तरह ही घोर कुरैहित है जिस तरह हिंदओं में गाय के मास का प्रयोग करना और मुसलमानों मे सूअर के मास का प्रयोग करना । इसलिए शिरोमणी कमेटी, रोडवेज़ के मुख्य कर्मचारियों को व पंजाब सरकार को सूचित करती है कि इस प्रकार के सिखों के दिल दुखाने वाले प्रचार को, इस प्रकार के बोर्डो को सरकारी संस्थानों से तुरंत उतार दें और भविष्य में ऐसे बोर्डो पर इश्तिहारों का लगाना बंद कर दें।" 28.3.1973

अखिल भारतीय सिख गुरद्वारा एक्ट बनाने पर बल:

"शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की यह महासभा केंद्रीय सरकार को चेतावनी देती है कि "नेहरू – तारा सिंघ पैक्ट" के अनुसार अखिल भारतीय सिख गुरद्वारा एक्ट बनाने के लिए वह वचनबद्ध है। इसलिए वह अब और देर किये बिना पार्लियामेंट से इस कानून को पास करवा कर, अपने दिये हुए वचन की पूर्ति करे। केंद्रीय सरकार द्वारा अखिल भारतीय सिख गुरद्वारा एक्ट न बनाना सिखपंथ के साथ अन्याय करने के तुल्य है और यह अधिवेशन सरकार को बता देना चाहता है कि लंबे समय तक किसी अन्याय को सहन करना, सिखों की रवायतों में शामिल नहीं हैं। " 28.11.1973

सरकार द्वारा बहादुर कौमों की फौजी भर्ती सीमित करने के विरूद्ध अफसोस का प्रस्ताव :

"शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का यह महाअधिवेशन भारत के रक्षा मंत्री श्री जगजीवन राम द्वारा लोक सभा में, सेनाओं में उत्तरी भारत की मार्शल कौमों, जिन में सिख विशेष तौर पर शामिल हैं, की भर्ती आबादी के अनुसार सीमित करने के ऐलान से दुःख भरी चिंता को प्रकट करते हुए समय से स्पष्ट कर देना अपना जरूरी कर्तव्य समझती है कि केंद्रीय सरकार की इस नीति से जहां देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी, वहीं यह नीति मार्शल कौमों की लड़ाई लड़ने की योग्यता का हास्य भी करने लगेगी और इस प्रकार उनके साथ यह अन्यायपूर्ण भेदभाव होगा । जबकि सरकार द्वारा सिविल विभागों तथा अन्य कार्यो हेतु भर्ती करते समय, उम्मीदवारों की योग्यता को ध्यान में रखा जाता है तो फिर सेना की भर्ती के समय युद्ध में जुझ पाने की योग्यता को दृष्टि में नहीं रखा जाना, किसी भी तरह उचित नहीं और न देश के हित में समझा जा सकता है। देश की सुरक्षा यह मांग करती है कि सेना में भर्ती संबंधी पश्चिमी भारत की मार्शल कौमों की भर्ती को सीमित करने के लिए लोक सभा में किये गए ऐलान

को तुरंत वापिस ले कर, पंजाब हिमाचल की मार्शल कौमों के साथ न्याय किया जाए। 30.3.1974

विदेश जाने वाले प्रचारक जत्थों पर पाबंदी लगने के बारे में प्रस्ताव :

शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के महाअधिवेशन को प्रधान शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी से यह पता चलने पर प्रस्ताव किया गया है कि उन की विदेश यात्रा के समय यूनाइटेड किंगडम की सिख संस्थाओं ने यह शिकवा किया है कि कई सिख प्रचारक, रागी और ढाडी विदेशों में पहुंच कर ध र्म प्रचार की जगह पर धन एकत्र करने को ही अपना मुख्य मंतव्य समझते हैं और इस प्रकार सिखों की दबनामी होती है और विदेशों में बैठे सिखों के मन दु:खी होते हैं। इसलिए स्वीकार हुआ कि ब्रिटेन, अमरीका, कैनेडा, मलेशिया, थाईलैंड , ईरान व अफगानिस्तान आदि देशों की दिल्ली में स्थित एंबेसियों को सारे हालात से अवगत करवाया जाए और लिखा जाए कि सिख मिशनरी के तौर पर विदेशों को जाने वाले सिखों को वीज़े देने से पहले, शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी को उन के बारे में सूचना दी जाया करे और वीज़े शिरोमणी कमेटी की सिफारिश के उपरांत ही जारी किये जाया करें।" 25.11.74

R R R R R R R R

शिरोमणी कमेटी के ढांचे में दोष

गुरद्वारा सुधार लहर में सैंकड़े सिखों ने शहीदियां प्राप्त कीं। हजारों घायल हुए, अंगहीन हुए व सदा के लिए नकारे हो गए। हज़ारों को बैंतों से मारा गया। हज़ारो की संपत्ति, जागीरें, पैंनशनें व रुतबे छीन लिए गए और जिन्होंने काले पानी और जेलों के सींखचों के पीछे असहनीय कष्ट व यातनाएं सहीं – जूट की धुलाई की, चक्कियां पीसीं, कोहलू में जोत दिए गए, उनका तो कोई हिसाब ही नहीं। इतने संघर्ष व कुर्बानियों के फलस्वरूप शिरोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी व गुरद्वारा एक्ट अस्तित्व में आया। परंतु गुरद्वारा कानून ने गुरद्वारे की जायदादों के संबंध में जहां एक ओर मुकदमेबाजी और न्यायालय के दरवाजे खटखटाने की राह खोल दी, वहीं कई और ऐसे मसले छेड़ दिए जो अब तक के अनुभवों से सिख कौम के लिए समूचे तौर पर बहुत हानिकारक सिद्ध हुए हैं। उद्धारण के तौर पर :

(1) गुरद्वारा एक्ट ने सिख समाज में चुनाव को मुख्य स्थान प्रदान किया है। इन चुनावों की सारी विधि गणतंत्रीय ढंग की है। जिसमें गुरद्वारे की धार्मिक विशेषता व पवित्रता को कोई महत्व प्राप्त नहीं। बल्कि गुरद्वारा प्रबंध एक साधारण स्थानीय निकाय, जिला परिषद या म्युनिसिपल कमेटी के समकक्ष महत्व का ही बन कर रह गया है।

(2) चुनाव करने या मैंबर चुने जाने का अधिकार प्रत्येक उस व्यक्ति को प्राप्त है जो यह कहे कि वह सिख है। केवल मात्र यह कहने से वोटर तथा मैंबरों की व्यवस्था धार्मिक नहीं बन जाती है। इस प्रकार गुरद्वारा एक्ट में ऐसी कोई गारंटी नहीं कि गुरद्वारों के प्रबंधक सिखी पर श्रद्धा रखने वाले और सिखी रहित मर्यादा के पाबंद होंगे। अश्रद्धक मैंबर गुरद्वारों के प्रबंधक बन कर गुरद्वारे के अस्तित्व और उसकी धार्मिक अस्मिता को कहां तक सुरक्षित रखेंगे, यह सहज ही विचारणीय है।

(3) चुनाव प्रणाली ने (अकाल) तख्तों व अन्य गुरद्वारों को पंथक धर्म स्थानों की बजाए पार्टी स्थान बना दिया है। तख्त साहिबान की, गुरू ग्रंथ द्वारा हुकमनामें जारी करने की हैसीयत प्रायः समाप्त – सी हो चुकी है। अव्वल तो अकाल तख्त साहिब से पंथ के नाम जारी हुए हुकमनामों की अहमीयत ही नहीं रही और यदि कोई हुकमनामा जारी हो भी तो उस की पंथक पवत्रिता व हैसीयत ही नहीं रही, बल्कि इस की हैसीयत पार्टी स्तर की बन गई है।

(4) गुरद्वारा एक्ट के अधीन स्थापित हुए प्रबंध ने आनरेरी व निष्काम सेवा, जिस का सिख धर्म में विशेष महत्व था, का अंत ही कर दिया है और गुरद्वारों में दुकानदारी की भावना बलवती होती जा रही है।

(5) राजनीतिक पार्टी की भांति किये जाने वाले चुनावों ने, कौम के पंथक अस्तित्व को पार्टी अस्तित्व में परिवर्तित कर दिया है और गणतंत्रीय प्रबंधो की भांति गुरद्वारों में भी पार्टी अधिनायकवाद प्रवेश कर गया है।

(6) सिख का 'धर्म और राजनीति एक ही है' के नारे ने राजनीति को धर्म के अधीन करने की बजाए सिख धर्म को राजनीति के अधीन ला कर खड़ा कर दिया है और अब यह नारा बल पकड़ रहा है कि 'राज बिना नहीं धर्म चल है।' इन ने गुरू गोबिंद सिंघ साहिब के उद्देश्य 'धरम हेत गुरदेव पठाए' को द्वितीय श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। जिस राज्य के अंदर सिखी को प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं – "ऐसो राज न कितै काज"

गुरद्वारा एक्ट में कुछ आधारभूत कमजोरियां होने के कारण गुरद्वारा चुनाव प्रणाली, प्राचीन गुरसिखी रीति के विपरीत पश्चिमी विधानों की विधि के अनुसार होने के कारण, पंथ में धर्म से धड़ा प्यारा होने के कारण, कौम में फूट, ईर्ष्या, परस्पर विरोध, नास्तिकता, व्यक्ति पूजा और पतित– पन आए दिन बढ़ रहा है। सिंघ सभ लहर ने सिखों में आस्तिकता, गुरमत जीवन व गुरू ग्रंथ साहिब संबधी श्रद्धा भाव पैदा किया था। इसी प्रकार अकाली लहर ने कौम में एकता, जागृति व बल पैदा किया था। पर देश के बंटवारे के बाद कौम में ईर्ष्या व गुटबाजी बढ़ गई है। पंथक धन व कौमी बल, एक दूसरे को पछाड़ने व राजसी शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। गुरद्वारों की स्टेजों को नामबाणी व गुरमत प्रचार की जगह पर, पार्टीबाजी के प्रापेगंडे के लिए प्रयोग किया जाता है। शिरोमणी कमेटी जैसी धार्मिक संस्था का दोहन राजसी प्रभुता व मंत्रीपंदों की प्राप्ति आदि के लिए किया जाता है। इस के कारण कौम, ईश्वर भक्ति, गुरू भक्ति व प्रेमाभक्ति से विरक्त हो रही है। गुरद्वारों से संबंधि त गुरमत प्रचार समागम अब आम मेलों का रूप धारण कर गए हैं और इन अवसरों पर चढ़ावे व अन्य व्यय होने वाले करोड़ों रूपए कौम में फूट व दरार बढ़ाने का कारण बने हुए है। गुरसिखी के प्रत्येक आशिक, भजन सुमिरन करने वाले प्रत्येक गुरमुख हृदय में से व्यवहारिक जीवन प्रदान करने वाले प्रचार बढ़ाने की मांग बढ़ रही है, पर अभी तक कोई आशाजनक परिणाम नहीं निकल रहा है।

गुरद्वारा एक्ट लागू हुए और गुरद्वारों को पंथक प्रबंध में आए लगभग 90 साल गुजर चुके हैं और इस लंबे समय में हम यहां कहां पहुंचे हैं और जो पूर्व उल्लिखित प्रस्ताव शिरोमणी कमेटी द्वारा पास किये गए हैं, उनमें से कितने प्रस्तावों को व्यवहारिक रूप दिया गया है, यह सब के सामने है।

सिख धर्म की चढ़दी कला के लिए आवश्यक है कि गुरद्वारा एक्ट में ऐसा संशोधन करवाया जाय जिससे शिरोमणी कमेटी में मात्र सेवा, सिमरन वाले व धर्म प्रचार को अपना जीवन आदर्श बनाने वाले गुरमुख सज्जन ही सामने आ सकें।

शिरोमणी कमेटी को गुटों व धड़ों से ऊंचा रखने के लिए जरूरी है कि धार्मिक जीवन लक्ष्य वाले तैयार–बर–तैयार अमृतधारी सज्जन ही इस में रहें। राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए 'शिरोमणी अकाली दल' के दरवाज़े खुले हैं, ताकि शिरोमणी कमेटी धर्म प्रचार के लक्ष्य में उदासीन न हो और इस का मुख्य लक्ष्य धर्म प्रचार ही हो। शिरोमणी कमेटी को फौरी तौर पर नीचे अंकित परियोजनाओं को हाथ में लेकर, तुरंत व्यवहारिक रूप देने हेतु प्रयास करना जरूरी है तो ही कौम ही बिगड़ी तकदीर संवर सकती है।

पहला प्रयास बड़े स्तर पर ऊंचे व निर्मल जीवन वाले सिख मिशनरी तैयार करने के लिए शहीद सिख मिशनरी कालेज, श्री अमृतसर में आवश्यक प्रबंध होना चाहिए। इस समय कालेज की दो वर्ष में मात्र दो दर्जन मिशनरी पैदा करने की सामर्थ्य है। यह बिल्कुल कौम की आवययकताओं के अनुरूप नहीं है। यह संख्या तो कौम के लिए वैसी ही है जैसे कई दिनों के भूखे ऊँट को अनाज का एक दाना दे कर कहा जाय कि मिटा ले अपनी भूख और हो जा तैयार, तो इस तरह ऊँट की भूख न मिट पाएगी और न वह तैयार हो पाएगा।

आज हर गांव में, हर शहर में, हर स्कूल व कालेज में पढ़े लिखे व्यवहारिक जीवन वाले मिशनरी जज़्बा रखने वाले प्रचारकों की आवश्यकता है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए हज़ारों मिशनरी हर साल तैयार हों, तो ही हर गांव में से कीर्तन की गूंज आ सकेगी और हर गांव के गुरद्वारे में श्री गुरू ग्रंथ साहिब की कथा हो पाएगी। इन मिशनरियों के प्रचार के फलस्वरूप ही गांवों में अमृत संचार की लहर चला कर नास्तिकता, पतितपन व गुरूडम के कोढ़ को समाप्त किया जा सकेगा।

दूसरा ठोस प्रयास शिरोमणी कमेटी के करने योग्य यह है कि सिख इतिहास के संबंध में छोटी–छोटी लघु पुस्तिकाएं (ट्रैक्ट) लाखों की संख्या में छपवा कर गांवों व शहरों की संगत में हर महीने निःशुलक बांटें जायं ताकि गांव के युवा वर्ग अपनी विरासतकी जानकारी प्राप्त कर सकें और दाहड़ी केशों का अनादर करने से व नशों के घातक रोगों से बच सके। इस समय शिरोमणी कमेटी द्वारा प्रकाशित साहित्य नाम मात्र ही उपलब्ध है। और तो और गुरबाणी के गुटके, सथिया सैंचिया आदि मोल देकर भी प्राप्त नहीं हो पाती। श्री गुरू ग्रंथ साहिब की पहली संथा सैंची छपे काफी अरसा हो गया है जिस को दुबारा छापने की ओर किसी शिरोमणी कमेटी के कर्णधारों का ध्यान ही नहीं गया।

शिरोमणी कमेटी का यह भी कर्तव्य बनता है कि जो–जो धार्मिक संगठन धर्म प्रचार के क्षेत्र में निष्काम सेवा निभा रहे हैं, उनकी आर्थिक तौर पर उचित सहायता की जाए। उनको गांवों में जाने के लिए जीपें आदि उपलब्ध करवाई जाएं ताकि नौजवानों की, धर्म प्रचारक जत्थेबंदियां गुरमत का प्रचार गांव–गांव में भी कर सकें।

यह ठीक है कि गुरद्वारों की इमारतें भी सुंदर होनी चाहिएं, पर यदि इन इमारितों में बैठने वाले ही न रहे तो इमारतों का क्या करना है। आवश्यकता है धन और शक्ति का अधिकांश हिस्सा धर्म प्रचार पर लगाया जाय। समय–समय पर रागी, ग्रंथी व प्रचारकों के लिए दोहराई अथवा पुनःचर्या पाठ्क्रम (Refresher Courses) चलाए जायं और उनके धर्म प्रचार के स्तर की जांच पड़ताल की जाय करें। गुरद्वारों में सेवा करने वाले सेवादारों की सिखलाई के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएं। यदि सेवादारों का व्यवहार सिख संगत के प्रति सिखी भावना वाला हो जाय तो सिखी का अधिकांश प्रचार तो आपने आप ही हो जाता है। पर इस प्रशिक्षण का संचालन व प्रावधान, बिना इसका प्रबंध किये नहीं हो सकता।

हमें धर्म स्थानों पर चल रही लंगर की मर्यादा की ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। यहां प्रशादे (रोटियां), दाल–सब्जी, अचारा–प्याज इत्यादि की सेवा को और अधिक उत्तम व स्वादिष्ट का प्रबंध करने की जरूरत है। कच्चे–पके, जले हुए प्रशादे व अधगली दाल, जिस में पानी अलग व दाल अलग हो, सिखी के लंगर की महानता व शान का ह्रास करती है और सेवादारों की निश्क्रियता व उदासीनता को प्रकट करती है। शिरोमणी कमेटी द्वारा प्रत्येक गुरद्वारे में शस्त्र विद्या व अभ्यास के लिए अरवाड़े स्थापित किये जाना जरूरी है। सिख कौम के लिए शस्त्रों का प्रशिक्षण, शास्त्रों के ज्ञान से भी अधिक आवश्यक है।

सिख साहित्य को संसार की सभी भाषओं में प्रकाशित करवाने का प्रबंध करना भी शिरोमणी कमेटी को अपने कार्य क्षेत्र में समझना चाहिए।

सिख नौजवानों को उचित नौकरियां दिलवाने, उनके लिए औद्योगिक कारखानों का प्रबंध करने ताकि कोई भी सिख नौजवान बेरोजगार न रह सकें और प्रत्येक सिख युवक को आर्थिक तौर पर स्वावलंबी बनाने के लिए उत्पादक योजनाएं बनाने का काम भी शिरोमणी कमेटी का मौलिक कर्तव्य बनता है। गुरू की गोलक व सिखपंथा के दसवंध का यदि सही प्रयोग किया जाए तो शिरोमणी कमेटी के लिए ऐसा कुछ कर पाना कोई कठिन काम नहीं है।

पर उपरोक्त सब कुछ तो ही हो पाएगा, यदि शिरोमणी कमेटी में प्रभावी प्रबंधकीय सदस्यों को धड़ा प्यारा न हो कर, धर्म प्यारा हो। राजसी कुर्सी की भूख न हो कर, गुरू की कृपा प्राप्त करने की अधिक आकंक्षा हो व सिखी की चढ़दीकला के लिए अपने आपको न्यौछावर कर देने वाला त्याग व भावना हो। अकाल पुरख इस स्वपन को साकार करे, यही हमारी अरदास है।